खण्ड-6, अंक-3
बुधवार, 15 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(5 जून, 2002 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड-6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय–सूची

विषय | पृष्ठ–संख्या

1– उपस्थित सदस्य ... — — 'क'

2– प्रश्नोत्तर ... — — 1–29

3– जनपद हरिद्वार की हरकी पैड़ी पर सीवरेज के बाई नाले सीधे गंगा जी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना — ... 30

4– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगढ़ा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 31

5– जनपद अल्मोड़ा के द्वारसों काकड़ी घाट मोटर मार्ग के 1 कि0मी0 में कोसी नदी पर मोटर पुल के रोलर द्वारा स्थान छोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 31

6– जनपद हरिद्वार में मण्डी समिति भगवानपुर में मण्डी परिसर पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 31

7– जनपद पिथौरागढ़ में नामिक पेयजल योजना के प्रभावी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 31–32

8– जनपद रुद्रप्रयाग में पट्टी सिलगढ़ में दिनांक 7 मई, 2002 को हुई ओलावृष्टि से गेहूँ की फसल की तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 32

9–जनपद चमोली एवं पौड़ी को जोड़ने वाली नौटी, बिछौना, पौड़ी मोटर मार्ग संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 32

10–नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं–अस्वीकार ... 32

11–जनपद हरिद्वार में इन्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक याचिका....... (उपस्थित की गई) — — 33

12–जनपद अल्मोड़ा में अग्नेरी मंदिर चौखुटिया से जौरासी मोटर मार्ग के निर्माण किए जाने विषयक याचिका .... (उपस्थित की गई) ... — — 33

विषय	पृष्ठ-संख्या
13–द्रोण होटल में विधायकों के रहने की अव्यवस्था एवं असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना पर मा0 अध्यक्ष का निर्णय	34–35
14–कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	36–43
15–वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	43–64
16–नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	64–65

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची

क्र0सं0	नाम	क्र0सं0	नाम
1.	श्री अजय भट्ट	35.	श्री फूल सिंह बिष्ट
2.	" अनिल नौटियाल	36.	" बलबीर सिंह नेगी
3.	" अनुसुया प्रसाद मैखुरी (डा0)	37.	" बिजयपाल सिंह सजवाण
4.	" अरविन्द पाण्डे	38.	" बिशन सिंह चुफाल
5.	श्रीमती आशा देवी	39.	" भगत सिंह कोश्यारी
6.	" इन्दिरा हृदयेश (डा0)	40.	" मदन कौशिक
7.	श्री उम्मेद सिंह मांजिला	41.	" मंत्री प्रसाद नैथानी
8.	" काशी सिंह ऐरी	42.	" महेन्द्र भट्ट
9.	" किशोर उपाध्याय	43.	" महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
10.	" कैलाश शर्मा	44.	" मातबर सिंह कण्डारी
11.	" कौल दास	45.	" मालचन्द्र
12.	" गगन सिंह	46.	" यशवीर सिंह (चौ0)
13.	" गणेश प्रसाद गोदियाल	47.	" योगम्बर सिंह
14.	" गोपाल सिंह	48.	" रणजीत सिंह
15.	" गोविन्द लाल	49.	" राम प्रसाद टमटा
16.	" गोबिन्द सिंह कुंजवाल	50.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल
17.	" चन्द्रशेखर	51.	श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
18.	" जोत सिंह	52.	" शूरवीर सिंह
19.	" तसलीम अहमद	53.	" शैलेन्द्र मोहन सिंघल (डा0)
20.	" तिलक राज बेहड़	54.	" शहजाद
21.	" तेजपाल सिंह रावत	55.	" साधू राम
22.	" दिनेश अग्रवाल	56.	" सुबोध उनियाल
23.	" नरेन्द्र सिंह भण्डारी	57.	" सुन्दरलाल मन्द्रवाल
24.	" नारायण पाल	58.	" सुरेन्द्र सिंह नेगी
25.	" नारायण राम आर्य	59.	" सुरेश चन्द
26.	" नारायण सिंह जंतवाल	60.	" हरक सिंह रावत (डा0)
27.	" निजामुद्दीन	61.	" हरबंस कपूर
28.	" प्रकाश पन्त	62.	" हरभजन सिंह चीमा
29.	" प्रणव सिंह	63.	" हरीदास
30.	" प्रताप बिष्ट (डा0)	64.	" हरीश चन्द्र दुर्गापाल
31.	" प्रदीप टम्टा	65.	" हीरा सिंह बिष्ट
32.	" प्रीतम सिंह (चकराता)	66.	" हेमेश खर्कवाल
33.	" प्रीतम सिंह पंवार (यमुनोत्री)	67.	" त्रिवेन्द्र सिंह रावत
34	" प्रेमानन्द महाजन	68.	" रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर

बुधवार, 5 जून, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री काशी सिंह ऐरी –

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मान्यवर, आज शिक्षा–बन्धु, शिक्षा–मित्र के जो लोग आंदोलनरत् हैं, उन लोगों ने हमारा घेराव किया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे माननीय विधायक श्री जंतवाल जी और श्री तिवारी जी एक कमरे में मंत्रणा कर रहे थे, तमाम लोगों ने घेर लिया और कहने लगे कि हम आज आपको अन्दर नहीं जाने देंगे। हमने उनसे कहा कि हमने आपका मसला सदन में उठाया है और आज भी हम विधान सभा में जाते ही कह देंगे। यह तो अच्छा हुआ कि उसी समय श्री एन0डी0 तिवारी, कोतवाल वहाँ पहुँच गये। उन लोगों ने इन बेरोजगारों को समझाया और बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकल पाये। उनकी मांग को हमने परसों रखा तथा श्री कण्डारी जी ने कल रखा, और भी कई समस्याएं हैं। अशासकीय विद्यालयों में कई तदर्थ, नियत वेतनमान, इन सभी की समस्याएं हैं।

और दूसरा यह कि हम उन लोगों की समस्या लेकर शिक्षा सचिव से भी मिले। माननीय अध्यक्ष जी हम 3 विधायक थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप तो पावरफुल हैं, आप चाहें तो मुझे हटा दें। तो मान्यवर, यह उचित नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि एक तो यह कि हमारे विधायी कार्यों पर कोई बाधा न पड़े और इनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मैं, सरकार को निर्देशित करता हूँ कि माननीय सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की जाए और जो इस तरह के तत्व हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

(माननीय मंत्री जी द्वारा मूल प्रश्न का उत्तर न पढ़े जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मूल प्रश्न का उत्तर पढ़े।

वर्ष 1999 में आये प्रलयकारी भूकम्प से विभिन्न विभागों के भवनों की क्षति के सम्बन्ध में

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1999 में आये प्रलयकारी भूकम्प ने विभिन्न विभागों के भवनों की कितनी क्षति पहुँचाई है ?

क्या प्रशासन ने आकलन सहित क्षतिग्रस्त भवनों की सूची शासन को भेजी थी ?

यदि हाँ, तो कब तक विभागों को भूकम्प राहत की धनराशि वितरित कर दी जायेगी ?

आपदा प्रबन्धन एवं राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

वर्ष 1999 में आये प्रलयकारी भूकम्प से विभिन्न विभागों के भवनों को रु0 4623.49 लाख की क्षति हुई है।

जी हाँ, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की गई थी।

वर्ष 1999 में उत्तरांचल के जनपदों में भूकम्प से विभागीय परिसम्पत्तियों को हुई क्षति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु0 339.55 करोड़ का मांग प्रस्ताव मेमोरण्डम द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। भूकम्प से प्रभावित जनपदों की विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु तत्कालीन समय में विभागवार कितनी–कितनी राहत सहायता वितरित की गई है, के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से स्थिति ज्ञात की जा रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा ही संवेदनशील है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किन–किन विभागों के कितने भवन क्षतिग्रस्त हुए, दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है। मान्यवर, प्रशासन ने रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित कर दी और इतना समय हो गया अभी तक वह रिपोर्ट उत्तरांचल में नहीं मंगाई गई। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन को जो रिपोर्ट दी गई है, वह उत्तरांचल के पास आ जाये। उत्तर प्रदेश शासन के पास जो रिपोर्ट गई है, उसकी पूर्ण जानकारी उत्तरांचल शासन कब तक प्राप्त कर लेगा ताकि भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण हो सके। मान्यवर, कई हाई स्कूल और इण्टर कालेज इतने क्षतिग्रस्त हो गये हैं कि वहाँ पढ़ाई सम्भव नहीं है। मान्यवर, कब तक वह रिपोर्ट शासन के पास आ जायेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, विभागवार रिपोर्ट एकत्र की जा रही है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसका कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो उत्तर आया है, इसको संशोधित कर लें। मान्यवर, प्रश्न पूछा गया था कि क्या प्रशासन ने आकलन सहित क्षतिग्रस्त भवनों की सूची शासन को भेजी थी ? उत्तर आया जी हाँ, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की थी। मान्यवर, यह उत्तरांचल है। इसे या तो आप अविभाजित उत्तर प्रदेश लिखें। जो तीसरा प्रश्न है कि यदि हाँ, तो कब तक विभागों को भूकम्प राहत की धनराशि वितरित कर दी जायेगी ? इसका तो पूरा उत्तर ही गोल–मोल आया है। 1999 से आज तक रु0 4623.49 लाख की क्षति का आकलन विभागों ने शासन को भेजा और शासन ने उसको उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया, और उत्तर प्रदेश शासन से वह रिपोर्ट उत्तरांचल शासन को प्राप्त नहीं हुई और क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। मान्यवर, सरकार ने 18 मार्च को वादा किया था कि एक माह के अन्दर आपदा प्रबन्धन की नीति बनाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर देगी। पता नहीं वह एक महीना कब आयेगा ?

मान्यवर, जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो सार्वजनिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो सड़कें और नहरें क्षतिग्रस्त हो गए उनकी प्रतिपूर्ति कब तक हो जायेगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तरांचल शासन ने उत्तर प्रदेश को नहीं भेजा है। मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वर्ष 1999 में उत्तरांचल के जनपदों में भूकम्प से विभागीय परिसम्पत्तियों को हुई क्षति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु0 339.55 करोड़ का मांग प्रस्ताव मेमोरेण्डम द्वारा भारत सरकार को भेजा गया था। उस समय उत्तर प्रदेश अविभाजित प्रदेश था। उन्हें पत्र लिखा गया है कि किन–किन विभागों को धनराशि दी गयी इसकी समस्त सूचना उपलब्ध करा दी जाए। परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश से से यह सूचना एकत्र नहीं हो पाई है। हम प्रयासरत हैं। सरकार चिन्तित है यदि माननीय सदस्य मेमोरेण्डम के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वे मेरे कक्ष में आ जाए मैं उन्हें दिखा दूँगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं क्या उनकी मरम्मत फाईलों में ही उलझ कर रह जाएगी। पीड़ित व्यक्ति चार साल से इंतजार कर रहा है और आप कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं। जिला प्रशासन तो विभाजित हुआ नहीं, वहाँ से आप उत्तर एकत्र कर सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, शासन ने तीस लाख रु0 अवमुक्त कर दिया है जिसमें से पन्द्रह लाख रु0 अहेतुक धनराशि के रूप में तथा पन्द्रह लाख रु0 सिविल कार्य के लिए केन्द्र की मानक सूची के अनुसार अवमुक्त कर दिया है। ऐसे जिले जो जी–5 की श्रेणी में आते हैं उन्हें पचास लाख रु0 दिए जाने का प्राविधान है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इससे पूर्व भी भूकम्प आया। इन दोनों भूकम्पों में समय बी0जे0पी0 की सरकार थी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बी0जे0पी0 पर आक्षेप लगाया जा रहा है।

लोक निर्माण संसदीय कार्य एवं सूचना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

श्री ऐरी जी हास–परिहास के रूप में अपनी बात कर रहे थे थोड़ी नोक–झोक और हास–परिहास तो होता ही है। इसमें दलगत राजनीति नहीं होती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रश्नकाल एक गंभीर समय होता है इसमें हास–परिहास नहीं होता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यदि मेरी बात से किसी को पीड़ा हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ, भारत सरकार को मेमोरेण्डम गया हुआ है और आज इसकी सूचना उत्तर प्रदेश से पूछी जा रही है मैं इसके तकनीकी उलझन में नहीं जाना चाहता हूँ।

मान्यवर, दैवीय आपदा में जो क्षति होती है उसमें जो व्यक्ति असहाय हो जाते हैं, उसके लिए दैवीय राहत आपदा की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, जो आपदा राहत विभाग बनाया गया है उसमें बहुत खामियां हैं। तो क्या आप इन असहायक व्यक्तियों के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश एक आपदाओं का प्रदेश है और मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे देश में केवल उत्तरांचल प्रदेश ऐसा है जिसने आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का गठन किया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दैवीय आपदा के लिए चिन्तित है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में इस मद के लिए धन की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत कोष है जो बहुत जल्द ही हम उत्तरांचल में भी गठित करने जा रहे हैं। अभी व्यवस्था नहीं है, पर हम बहुत जल्द ही गठित करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह आपदा प्रबन्धन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूँकि, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी रिपोर्ट हमने उत्तर प्रदेश से मांगी है अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस मद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मान्यवर, मंत्री जी से पूछा गया कि वर्ष 1999 में कितने भवनों की क्षति हुई तो उत्तर आया कि वर्ष 1999 में आये प्रलयकारी भूकम्प से विभिन्न विभागों के भवनों को रु0 4623.49 लाख की क्षति हुई है। और नीचे आपने दिया है कि भूकम्प से विभागीय परिसम्पत्तियों को हुई क्षति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रु0 339.55 करोड़ का मांग प्रस्ताव मेमोरेण्डम द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न परिसम्पत्तियों के बारे में है, ये जो क्षति हुई है क्या उत्तरांचल सरकार अपने मद से करेगी। दूसरा प्रश्न मान्यवर, मेरा यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा था पैसे की कोई कमी नहीं है। पूर्व सरकार ने 50 लाख रुपये त्वरित लाभ के रूप में दिये थे। क्या 50 लाख की धनराशि को एक करोड़ करने का सरकार का प्राविधान है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये सच है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आज भी प्रदेश सरकार के खाते में 65 करोड़ रु0 हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो 65 करोड़ रु0 हैं, इसमें हम भारत सरकार की गाइड लाइन से बंधे हुए हैं, इसमें 25 प्रतिशत प्रदेश सरकार का अंश है। जो भारत सरकार के द्वारा सहायता हमें पहुंची है उसको हम मुख्यमंत्री राहत कोष से देंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, केवल मेमोरेण्डम मिला।

मान्यवर, 50 लाख को एक करोड़ करने का कोई विचार इस समय नहीं है। केवल उसी के माध्यम से 30 लाख रु0 अवमुक्त कर दिया गया है जो जिला आपदा प्रबन्धन था। इसमें एक करोड़ करने का कोई बन्धन नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी के माध्यम से चाहे चिकित्सा से सम्बन्धित मामला हो, बिजली, भूस्खलन आदि से सम्बन्धित वह रिपोर्ट हमारे पास आती है, वैसे ही हमारी सरकार उस मद में धन अवमुक्त करती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने कहा हमारे पास 65 करोड़ रु0 है, इसमें 33 करोड़ 98 लाख रु0 का परिव्यय रखा था इसमें किस मद का पैसा बचा हुआ है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो पिछली राशि अवशेष थी, खर्च नहीं हुई है। मान्यवर, आपदा प्रबन्धन ही एक ऐसा कोष है जिसका पैसा लैप्स नहीं होता, वह अगले वित्तीय वर्ष में जुड़ जाता है। मान्यवर, कुछ पैसा भारत सरकार की ओर से नया आया है कुल मिलाकर, वर्तमान में 65 करोड़ रु0 है। (व्यवधान)

ग्रामीण अंचलों में कानून व्यवस्था के संचालन हेतु राजस्व पुलिस एक्ट बनाये जाने की जानकारी

*2–श्री कैलाश शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में कानून व्यवस्था राजस्व पुलिस द्वारा संचालित होती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था के विधि सम्मत प्रबन्धन-हेतु राजस्व पुलिस एक्ट बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में कतिपय थाना क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में कानून व्यवस्था राजस्व पुलिस द्वारा संचालित होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, वर्तमान में जो उत्तरांचल के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में कानून व्यवस्था राजस्व पुलिस द्वारा संचालित होती है वह 1874 के शेड्यूल के तहत चलती है। वर्तमान में यह एक्ट समाप्त हो गया। अब इस व्यवस्था का वैधानिक आधार क्या है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजस्व पुलिस को जो अधिकार दिये गये थे वह शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के तहत प्रदाशाक्षीयों के अधीन चलता है और 7–3–1916 से यह राजस्व पुलिस के अधिकारी दिये गये थे। इसमें तीन एक्ट बने, एक 1956 का दूसरा टिहरी गढ़वाल अधिनियम के तहत पुलिस को अधिकार दिया गया, तीसरा देहरादून का जो हिस्सा छूट गया था और जो कवर नहीं हो पाया वह 1958 में एक नया एक्ट बना। इनके माध्यम से राजस्व पुलिस को अधिकार सौंपे गये। एक एक्ट पहले से विद्यमान है उस एक्ट के तहत राजस्व पुलिस को पुलिस का काम करने का अधिकार दिया गया। जहाँ तक पुलिस के अधिकार हैं, वहीं सम्पूर्ण अधिकार राजस्व पुलिस को हैं। जिस तरह रेगुलर पुलिस के अधिकारों में परिवर्तन होता है उसकी तरह राजस्व पुलिस को ये अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था पटवारी चलाते हैं, वह एक डंडे के बल पर बड़े से बड़े अपराधी को पकड़ कर लाते हैं। इसके लिए कोई एक्ट पृथक से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पुलिस की भाँति सुविधाएं देने की योजना बनी थी, उसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसका लगभग एक नोट उत्तरांचल सरकार को आ गया था। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्व पुलिस को चुस्त–दुरूस्त बनाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है। उत्तरांचल में आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गये हैं। क्या ऐसी कोई योजना बना रही है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सच है कि राजस्व पुलिस के पूर्व में आधुनिकीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर चिन्तित है। इसमें भारत सरकार के सहयोग से पाँच करोड़ रुपया खर्च किया गया, 1214 राजस्व चौकियां हैं उनके नव–निर्माण का कार्य चल रहा है। सात सौ पटवारी चौकियां जल्दी तैयार हो जायेंगी, अगले वित्तीय वर्ष तक जो 1214 पटवारी चौकियां हैं वह बन कर तैयार हो जायेंगी।

मान्यवर, जो संवेदनशील पुलिस चौकियां हैं, उन पर वायरलैस सैट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। राजस्व पुलिस को चुस्त–दुरुस्त और गतिशील बनाने के लिए हल्के वाहन उपलब्ध कराने का विचार शासन स्तर पर विचाराधीन है। इससे पूर्व में राजस्व पुलिस को जिप्सियां उपलब्ध कराई गई हैं, तहसीलदारों को जिप्सियां उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही इनको प्रोन्नति के माध्यम से, पटवारी को कानूनगो के पद पर प्रोन्नतियाँ की हैं, जिससे उन्हें नए अवसर प्रदान होंगे तथा काम करने की क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए कानूनगो को नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार को एस0डी0एम0 के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही सरकार इस पर चिन्तित है कि राजस्व पुलिस को कैसे अधिक गतिशील बनाये जायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हमने जिप्सियां दी हैं तहसीलदारों को, एस0डी0एम0 को, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तहसीलदार और

एस0डी0एम0 पुलिस की श्रेणी में आते हैं ? प्रश्न यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस एक डण्डे के बल पर बड़े-बड़े अपराधी को पकड़ कर ले आती है तो क्या उन्हें शस्त्र लाइसेंस देने पर सरकार विचार कर रही है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्योंकि तहसीलदार तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह एक जिम्मेदार अधिकारी होता है। उसका पटवारी और कानूनगो पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है इसलिए हर तहसील में जिप्सी उपलब्ध कराई गई है। जिससे अपराधों की रोकथाम हो सके और अपराधियों को पकड़ने की त्वरित कार्यवाही हो सके। मान्यवर, सरकार का शस्त्र देने का, राजस्व पुलिस को, इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह पवार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि नियमित पुलिस की भाँति यदि राजस्व पुलिस से काम लिया जाता है तो उनको नियमित पुलिस की भाँति आवश्यक समस्त सुविधाएं तथा अग्रिम धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसके लिए यह व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में भी जानकारी दी कि उत्तराखण्ड में यह बहुत पुरानी परम्परा है। अगर हम रैग्यूलर पुलिस को जो व्यवस्था देते हैं जैसे वर्दी तथा हथियार एवं अन्य सुविधाएं राजस्व पुलिस को भी देंगे तो जो उत्तरांचल की सामाजिक परम्परा है, उस परम्परा को तोड़ेंगे जो उचित नहीं है। जहाँ तक सुविधाएं देने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ और दे चुका हूँ उसके आधुनिकीकरण पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि राजस्व पुलिस के लिए अग्रिम की क्या व्यवस्था की जाती है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूँ कि पटवारियों और कानूनगो पर कानून की ही जिम्मेदारी नहीं होती, उनको जमीन से सम्बन्धित कार्य भी करने होते हैं। पुलिस के कार्य के लिए उन्हें अलग से भत्ता दिया जाता है।

श्री कैलाश शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजस्व पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए जिप्सियां क्रय की गयी हैं। लेकिन मेरी जानकारी में है कि वह उनके काम में नहीं आ रही हैं, उनका उपयोग उच्च अधिकारी कर रहे हैं, क्या यह सही है और दूसरा, 1874 का जो शेड्यूल एक्ट है, क्या वर्तमान में यह एक्ट समाप्त हो गया है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस एक्ट के तहत ही राजस्व पुलिस को अधिकार प्रदत्त हैं। यह एक्ट समाप्त नहीं हुआ है और जहाँ तक राजस्व पुलिस को रेग्युलर पुलिस की भाँति सुविधा दिए जाने की बात है, राजस्व पुलिस को 450 रुपया प्रतिमाह भत्ते के रूप में कानून व्यवस्था का काम करने के लिए दिया जाता है।

–व्यवधान–

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। सदन को गलत जानकारी दी जा रही है। तहसीलदार मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आता है। तहसीलदार को पुलिस की पावर नहीं है।

"अन्नपूर्णा योजना" के अन्तर्गत राशन वितरण कार्य के सम्बन्ध में

*3–महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि "अन्नपूर्णा योजना" के अन्तर्गत राशन वितरण का कार्य प्रत्येक माह सुचारु रूप से हो रहा है ? यदि नही तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

यह सत्य है कि अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन वितरण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से नहीं हो सका है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त हुई जिसके कारण वितरण का कार्य अप्रैल, 2001 से प्रारम्भ नहीं हो सका। प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन वितरण के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर, 2001 में जारी होने के कारण वितरण भी तदनुसार ही प्रारम्भ कराया जा सका, किन्तु शासन द्वारा यह प्रबन्ध किया गया है कि जो भी राशन वितरित किया जाय पुराने बैक लॉग को कवर करते हुए ही किया जाय। तदनुसार राशन वितरण यद्यपि मौके पर अक्टूबर, 2001 से प्रारम्भ हुआ है किन्तु लाभार्थियों को खाद्यान्न अप्रैल, 2001 से मार्च 2002 तक ही अवधि के लिए आवंटित करके वितरित कराया जा रहा है।

उक्त योजना का क्रियान्वयन सीधे जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है तथा इसमे किसी भी प्रकार की शिकायतें नहीं प्राप्त हुईं। भारत सरकार की यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है।

–व्यवधान–

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह बहुत अच्छी बात है कि अक्टूबर में स्वीकृति मिली और आपने अप्रैल माह से देना प्रारम्भ किया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अक्टूबर से अप्रैल के बीच प्रत्येक माह अन्नपूर्णा का राशन वितरित हुआ ?

मान्यवर, दूसरा यह है कि यह आवंटन प्रति परिवार कितना किया गया ? इसी से सम्बन्धित मेरा एक विषय है, कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2700 से अधिक गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड नहीं बने हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार से इनके लिए भी राशन आया और अगर आया तो किसे वितरित किया गया ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं पूर्व में ही जानकारी दे चुका हूँ कि हमको अप्रैल, 2001 से यह योजना लागू करनी थी, किन्तु केन्द्र सरकार से समय से स्वीकृति न मिलने के कारण, प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किया जाता रहा कि समय से स्वीकृति मिल जाए। प्रदेश सरकार ने धन अवमुक्त करके इस भारत सरकार की योजना को अक्टूबर, 2001 में लागू किया और पिछला बैक लॉग में जो राशन था उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मार्च, 2002 तक उपलब्ध कराया गया।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया है। यह प्रति परिवार कितना दिया गया है और जो कार्ड नहीं बने थे, क्या उन्हें भी दिया गया है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा जो लक्ष्य हमको दिया गया है एक–एक व्यक्ति। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, जिनकी पेंशन नहीं है, कोई सहायता नहीं है, उनके लिए यह अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, इस पर एक बार वितरण हुआ है, माननीय मंत्री जी चाहें तो अपने विभाग से जानकारी ले लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि मार्च तक यह वितरण किया गया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, प्रति व्यक्ति कितना दिया गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी प्रति व्यक्ति कितना दिया गया है, कृपया जानकारी दे दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पूरे जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यदि सूचना एकत्र नहीं है तो कृपया इसे स्थगित कर दें।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरे आंकड़े एकत्र कर लें, तभी जवाब दें। कल एक बार माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक साथ हम पूरा राशन दे दें, तो ऐसा नहीं होता।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रत्येक लाभार्थी जो हमारे यहाँ हैं, उसको 10 किलो गेहूँ, चावल उपलब्ध कराया जाता है।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक का आवंटन किया गया। आपने कहा कि अक्टूबर से किया और मार्च, 2002 तक 5 माह बनते हैं, तो क्या इन 5 माह में एक साथ राशन दे दिया गया ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और अगर आपने एक साथ दे दिया तो लोगों ने कैसे खरीद लिया ?

मान्यवर, मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पिछले पाँच माह में सिर्फ एक बार राशन का वितरण हुआ है। माननीय मंत्री जी चाहें तो विभाग से इसकी जानकारी कर लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह जो अन्नपूर्णा योजना है, यह भारत सरकार की योजना है, निराश्रित, वृद्धों के जीवन–यापन के लिए यह योजना है और उत्तरांचल सरकार के द्वारा इस योजना का सफल संचालन हो रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत राशन वितरण का कार्य नियमित रूप से नहीं हो रहा है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि केन्द्र की योजना है इसलिए ऐसा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, बल्कि मेरा तो यह कहना है कि खाद्य विभाग में कोई सेटअप नहीं है। वर्तमान में उत्तरांचल के 13 जिलों में से कितने जिलों में डी0एस0ओ0 हैं, पूरे उत्तरांचल में कितने इन्सपेक्टर्स के पद खाली हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न की सीमा में नहीं आता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि यह इस प्रश्न से हटकर सवाल है। माननीय सदस्य नये सवाल के रूप में या किसी नियम के तहत जानकारी चाहेंगे तो मैं उन्हें जानकारी दे दूँगा।

विधवा तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृति की शर्तों में संशोधन की जानकारी

*4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्वीकृत शर्तों में संशोधन हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाने और उसका नियमित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार कोई व्यवस्था निर्धारित करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कब ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

जी नहीं।

यह नीतिगत मामला है वर्तमान में पेंशन योजना के स्वीकृत शर्तों में संशोधन किये जाने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वर्तमान में विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पेंशनरों को नियमित पेंशन भुगतान किये जाने की प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व से ही निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पवार–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत कितनी धनराशि पात्र लाभार्थियों को दी जाती है, क्या यह पर्याप्त है। पेंशन की धनराशि प्रति माह दी जाती है यदि नहीं तो यह कब से नहीं मिली है।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि पेंशन की धनराशि 125.00 रु0 तथा 150.00 रु0 वृद्ध और विधवाओं को दिया जाता है। साठ वर्ष तक की वृद्धाओं को प्रदेश सरकार देती है और साठ वर्ष से ऊपर केन्द्र सरकार देती है। विधवाओं को पेंशन प्रदेश सरकार देती है। अभी जितने भी पेंशनधारी पात्र थे उनको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है और जो मामले जिलों में विचाराधीन हैं, निर्धारित समय के बाद, बजट के बाद उन पर भी विचार किया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार जब अनुपूरक मांग रखी थी तो उस समय विभाग को एक करोड़ रुपया दिया गया था उस समय हमने कहा था कि इसे थोड़ा बढ़ा लिया जाये परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में उसे नहीं बढ़ाया गया है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, एक तो यह आप निश्चित जान लीजिए कि प्रति माह पेंशन का भुगतान नहीं होता है। इसलिए इस सम्बन्ध में जिलों को निर्देश दे दें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। कुल बजट में धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और पेंशन की जो राशि है उसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि जो व्यक्तिगत पेंशन है उसके आप बढ़ाएं ताकि उनका भला हो सके। दूसरा जिलों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विधवाओं व वृद्धाओं को धनराशि नहीं मिलती है और जिलों में एक लम्बी लिस्ट पड़ी रहती है लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई विधवा या वृद्ध मरे तब मेरा नम्बर आयेगा। इसलिए क्या सरकार इन सब चीजों पर गंभीरता से विचार कर रही है।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय विधायक जी का प्रश्न बहुत गंभीर और विचारणीय है। मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आपका सुझाव विचार करने योग्य है यदि आप कोई अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि विधवाओं और वृद्धाओं को नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल रही है। मेरी जानकारी में यह भी आया है तहसीलदार और उच्च अधिकारी अपने प्रिय पात्रों बगैर नीचे से रिपोर्ट आए दे देते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे मामले आये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा अपेक्षित हैं उनको ज्यादा पेंशन देने का कोई नियम–कानून है ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। सभी वृद्ध, समाज कल्याण में बराबर माने जाते हैं। इसलिए सभी को बराबर पेंशन मिलेगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यह नियमित रूप से मिल रहा है या नहीं ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, विगत 5 सालों से समाज कल्याण की विधवाओं ....(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि विगत 5 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो यह कोई उत्तर नहीं है। क्या 5 सालों में कोई पेंशन नहीं दिया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि प्रजातंत्र के अधिकारों का एक प्रकार से उपहास है। मैं चाहता हूँ कि इस पर सही उत्तर आये।

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके पात्र और अपात्र कौन हैं ? जब वहाँ पेंशन लेने जाते हैं तो कह दिया जाता है इसका लड़का जवान है, तो वृद्धावस्था पेंशन बन्द कर दिया जाये। मान्यवर, पटवारी जिसको चाहता है उसको पेंशन देता है और जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं देता है तो मैं इस विषय में जानकारी चाहता हूँ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जिसका लड़का या पोता 18 साल का है तो वह पेंशन का पात्र नहीं होता है। जिसके पास अपना मकान है या उसका किराया 1000 रुपये से अधिक है तो वह भी पात्र नहीं होता है।

श्री काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जो 100 रु0 पेंशन लेनी होती है तो वह 10–15 रुपये खर्च करके वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद अधिकारी पेंशन उस को नहीं देता है तो क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी कि जो गरीब अपनी पेंशन लेने जाता है तो उसको आसानी से पेंशन मिल जाये ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय काजी निजामुद्दीन जी ने जो कहा है उसमें अगर कोई व्यक्तिगत शिकायत होगी तो उसकी जांच की जायेगी और हमारा इसमें प्रयास होगा कि वृद्धावस्था और विधवाओं को पेंशन लेने के लिए अधिक से अधिक सुविधा दी जाये।

हरिद्वार के ग्राम लाठर देवाहूण, मुडलाना, बस्वाखेड़ी, नारसनकलां के अन्तर्गत बंजर भूमि के आवंटन एवं पट्टों के सम्बन्ध में

*5–श्री हरिदास–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ग्राम लाठर देवाहूण, मुडलाना, बस्वाखेड़ी, नारसनकलां के अन्तर्गत बंजर भूमि जो वर्ष 1972 में भूमिहीनों को पट्टे पर श्रेणी–3 में आवंटित की गई थी, उनके पट्टे निरस्त किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या सरकार पहले से आवंटित पट्टे धारकों को उक्त भूमि का मालिकाना हक वापस लौटायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

ग्राम मुडलाना, बस्वाखेडी, नारसनकलां में श्रेणी–3 के कोई पट्टे निरस्त नहीं किये हैं। ग्राम लाठर देवाहूण में कुछ आसामी पट्टे, पट्टा अवधि समाप्त होने पर निरस्त किये गये हैं।

आसामी (श्रेणी–3) के पट्टों की अवधि केवल 05 वर्ष होती है। इसलिए पट्टा अवधि समाप्त होने के उपरान्त ही पट्टे निरस्त किये गये हैं।

जी नहीं।

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 में निहित भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि श्रेणी–3 के पट्टे कैसे होते हैं ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसका उल्लेख मैं अपने उत्तर में कह चुका हूँ कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के तहत जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, वह इसके तहत आती है। मान्यवर, जमींदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम की धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि यह भूमि 05 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी, जैसे ही 05 वर्ष की अवधि होगी तो वह निषिद्ध की जाती है।

श्री हरिदास–

मान्यवर, श्रेणी–3 के पट्टे नदियों के किनारे या ऊबड़–खाबड़ आदि इलाकों में दिये जाते हैं। गरीब किसान उस जमीन को खेती योग्य बनाता है, और पांच साल बाद सरकार उस जमीन को वापस ले लेती है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ चूंकि ये पट्टे जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के तहत स्वीकृत किये जाते हैं, उस समय किसान और पट्टेधारक को यह मालूम होता है, ये पट्टे उसके उपयोग के लिए केवल 5 वर्ष के लिए दिये जाते हैं चूंकि यह सार्वजनिक भूमि हैं, इसलिए इसको व्यक्तिगत रूप से कोई भी अपने पास नहीं रख सकता है। शासन स्तर पर या सरकार स्तर पर इन पट्टों को खत्म करने का कोई विचार नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिद्वार में श्रेणी–3 की भूमि बहुत अधिक है, इस पर किसान काम कर रहे हैं। अभी तक पट्टे उन्हीं के कब्जे में हैं और वे उसमें लगातार खेती करते आ रहे हैं। आज तक किसानों को यह पता नहीं हैं, क्या ऐसा कोई केस है, हरिद्वार जनपद का।

मान्यवर, अगर खाली नहीं कराये गये हैं तो क्या सरकार पाँच वर्ष के लिए रिन्यू करेगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भूमि विनाश अधिनियम की धारा 132 के तहत पट्टे निरस्त किये गये। उदाहरण के लिए जानकारी देना चाहता हूँ हरिद्वार में ग्राम लावर देवाहूण में जो श्रेणी–3 में पट्टे दिये गये थे, उनको निरस्त किया गया, खसरा संख्या 917 में जो पुराना खसरा संख्या 433 है उसका क्षेत्रफल 0.280 हेक्टेयर है, जोहड़ (तालाब) को निरस्त किया गया। 918 वर्तमान खसरा संख्या है और पुराना खसरा संख्या 433 है उसका क्षेत्रफल 0.269 हे0 जोहड़ (तालाब) है। इसी तरह एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, पुराना खसरा संख्या 265 और वर्तमान खसरा संख्या 849 है जिसका क्षेत्रफल 0.244 हे0 चारागाह की है उसको निरस्त किया गया। पूरे आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह मेरे कक्ष में आ जायें मैं उनको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूँगा कि कितने पट्टे निरस्त किये गये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कागजों में निरस्त हो गये, लेकिन उन पर कब्जा किसानों का है। क्या सरकार इनके रिन्यूवल की व्यवस्था कर रही है ?

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूर्व में अवगत करा चुका हूँ कि पट्टे निरस्त किये गये हैं। जिन पट्टों पर कब्जा किया गया है उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस पर पुनर्विचार का आश्वासन दे दें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो पट्टे निरस्त किये गये हैं वह कानून व्यवस्था की दृष्टि से किये गये। अगर सरकार को जिस भूमि की नितान्त आवश्यकता नहीं होगी तो उस भूमि को किसानों को दुबारा पाँच साल के लिए पट्टे पर दी जा सकती है।

रूद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ मन्दिर के पीछे कटाव से हो रहे भूस्खलन को रोकने के सम्बन्ध में योजना

* 6–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री केदारनाथ मन्दिर के पीछे कटाव से हो रहे भूस्खलन को रोकने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उस योजना का स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

जी हाँ।

शंकराचार्य समधि के पीछे दो दीवारें क्रमश: 27 मी0 व 45 मी0 लम्बाई की 4.5 मी0 ऊँचाई की निर्मित होनी है। दीवार के पीछे स्टोन फिलिंग व दीवार की जल प्रवाह से क्षति हेतु 3 मी0 × 2मी0 × 1.5 मी0 के सी0सी0 ब्लाक बनाये जाने हैं। इस कार्य की कुल लागत रु0 15.10 लाख है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि इसमें कार्य कब से प्रारम्भ होगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बताई गई परियोजना पर कार्य कब से प्रारम्भ होगा।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, कार्य योजना प्रारम्भ हो चुकी है, इस कार्य को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक कराया जायेगा। कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो यह कार्य प्रारम्भ कराया गया है इस कार्य को कौन सी कार्यदाई संस्था करा रही है तथा कार्य को निविदा के आधार या विभागीय आधार पर कराया जा रहा है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, इसकी कार्यदाई संस्था सिंचाई विभाग है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कार्य निविदा के आधार पर कराया जा रहा है या विभागीय आधार पर कराया जा रहा है ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है। इसमें गम्भीरता के साथ सदन की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, जो कार्य कराया जा रहा है उस पर अगर एतराज है तो कहें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य इतने योग्य हैं किन्तु प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहे हैं। प्रश्न किया जा रहा है कि कौन सी कार्यदाई संस्था है और कार्य निविदा के आधार पर कराया जा रहा है मान्यवर, मंत्री जी के पास यदि जानकारी न हो तो कह

दें कि जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त होने पर, जानकारी दे दी जायेगी। कम से कम इतना तो बताएं कि कार्य निविदाओं पर हो रहा है या विभागीय स्तर पर हो रहा है। यह तो एक मजाक है। पूछा कुछ जा रहा है उत्तर कुछ आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि विधिवत कार्य हो रहा है और संविदा के आधार पर हो रहा है। संविदा से यदि एतराज हो, तो कहिए।

–व्यवधान–

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, यह कार्य कब से शुरू हुआ, यह बताने की कृपा करें।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही हो रही है।

–व्यवधान–

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन की अवमानना कर रहे हैं, खड़े होकर उत्तर देने का कष्ट भी नहीं कर रहे हैं।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया कि यह कार्य निविदाओं के आधार पर किया जा रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्य कर दिया है और अब कह रहे हैं किया जा रहा है।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि कर दिया गया है। मैंने यह कहा कि कर रहे हैं।

–व्यवधान–

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, क्या आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा।

–व्यवधान–

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फिर से अपना उत्तर बदल दिया। यह सदन की अवमानना है। हम सदन से वॉक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अगर आप स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में आसामी पट्टों से पट्टेदारों को खारिज कर बेदखल करने के सम्बन्ध में

*7–श्री काजी निजामुद्दीन–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आसामी पट्टों से पट्टेदारों को खारिज कर बेदखल किया जा रहा है ?

क्या वर्ष 1996 से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन लोगों को ग्राम समाज की बंजर भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे ?

यदि हाँ, तो क्या प्रशासन द्वारा उक्त पट्टेदारों के पट्टे खारिज किये जा रहे हैं ?

डा० हरक सिंह रावत–

आसामी पट्टों की निर्धारित 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही केवल जनपद हरिद्वार व देहरादून में ही बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में केवल जनपद हरिद्वार ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून में ही ऐसे लोगों को पट्टे आवंटित किये गये हैं।

जी नहीं।

उत्तरांचल में पंजीकृत एन0 जी0 ओ0 द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग के सम्बन्ध में

*8–श्री नारायण पाल, श्री मदन कौशिक, श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितनी पंजीकृत एन0 जी0 ओ0 कार्यरत है ?

क्या यह सत्य है कि कई ऐसी संस्थायें हैं जो सरकारी धन का दुरूपयोग कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी संस्थाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

उत्तरांचल में समाज कल्याण विभाग के आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान पर 27 पंजीकृत एन0 जी0 ओ0 कार्यरत हैं।

समाज कल्याण विभाग की इन संस्थाओं में सरकारी धन के दुरूपयोग सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि समाज कल्याण विभाग की इन संस्थाओं में सरकारी धन के दुरूपयोग सम्बन्धी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में हाईड्रम सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जाना

*9–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में हाईड्रम सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो योजनाओं का विस्तार कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी हाँ।

हाईड्रम योजनाओं का विस्तार माह मार्च, 2003 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

हरिद्वार के खादर क्षेत्र में बाढ़ की गम्भीर समस्या का निराकरण के सम्बन्ध में।

*10—श्री कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ब्लाक खानपुर तथा लक्सर, जिला हरिद्वार के खादर क्षेत्र में बाढ़ की गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

तथा कब तक कार्य योजना को कार्यान्वित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

जी हाँ।

विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

सर्वेक्षण एवं कार्य योजना की स्वीकृति में लगभग 6 माह लग जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता है।

टी0 ए0 सी0 की बैठक में बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

*11—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23—4—01 की टी0ए0सी0 की बैठक में बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है ?

यदि नहीं, तो सरकार कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

दिनांक 23—4—2001 की टी0 ए0 सी0 की बैठक में कुल 31 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 05 अति संवेदनशील बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2001—2002 में निर्गत की गई है।

टी0 ए0 सी0 द्वारा शेष अनुमोदित योजनाओं की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2001—2002 में बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण प्रदान नहीं की जा सकी। इन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2002—03 में बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जायेगी।

अन्य पिछड़ी जाति घोषित करने के मानक की जानकारी

*12–श्री हरबंस कपूर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि किसी जाति को अन्य पिछड़ी जाति घोषित करने के मानक क्या हैं ?

क्या घिरथ, बाहती, चाहंग जातियों को अन्य पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

किसी जाति को अन्य पिछड़ी जाति घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक निम्नलिखित हैं:–

(1) सामाजिक स्थिति
(2) आर्थिक स्थिति
(3) शैक्षिक स्थिति

यह एक नीतिगत प्रक्रिया है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार घृत, बाहती, चाहंग जातियों का सर्वेक्षण कराने के पश्चात राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के आधार पर उक्त जातियों को पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करने के उपरान्त राज्य की पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित–प्रश्न

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लाक में पटवारी चौकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

1–श्रीमती विजय बडथ्वाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर की सभी पटवारी चौकियों का निर्माण हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में कुल 40 पटवारी चौकियां आती हैं, जिसमें से 10 पटवारी चौकियों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

निर्माण की भौतिक/वित्तीय प्रगति 50 प्रतिशत है।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लाक में सिंचाई की नहरों के सम्बन्ध में

2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में सिंचाई की कौन–कौन सी नहरें हैं ?

क्या इन नहरों से सुचारू रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में 41 सिंचाई नहरें हैं जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. जुड्डा
2. मराल
3. जोगियाणा
4. घट्टूगाड़ अपर
5. आमसैंण
6. बैरागढ़
7. कटघर बाई
8. गंगा भोगपुर
9. गुजराड़ी
10. नैलगांव
11. जुकाता
12. सिंधीसौड़
13. घट्टूगाड़ लोअर
14. बघाला
15. ठिठोलघ
16. दांयी निसनी
17. बड़यूण
18. कुल्सी
19. काण्डी
20. ठांगर
21. सोला
22. राजसेरा
23. अघई
24. छोटी बड़ोली
25. लोअर बड़ोली
26. अपर बड़ोली
27. लोअर जामल
28. डाबर
29. सैल्डी
30. अपर जामल
31. बागी ब्यास घाट
32. कोटा
33. छाम
34. तैड़ी पोक्टा
35. खरोक
36. कटघर बांयी
37. बागी बड़ी
38. स्यालनी
39. जौरासी
40. मोहनी रावत
41. बांयी निसनी

इन नहरों में से निम्न नहरों पर अत्यन्त अस्थाई व्यवस्था द्वारा पानी सुचारू रूप से चल रहा है।

1. जुड्ड
2. मराल
3. गंगा भोगपुर
4. गुजराड़ी
5. जुकाला
6. सिंधीसौड़
7. घटूगाड लोअर
8. बघाला
9. ठिठोल
10. बडयूण
11. ढांगर
12. सोला
13. राजसेरा
14. छोटी बड़ोली
15. लोअर बड़ोली
16. अपर बड़ोली
17. बागी ब्यास घाट
18. बागी बड़ी
19. स्यालनी
20. दोयी निसनी

उक्त के अतिरिक्त निम्न नहरों पर अस्थाई व्यवस्था द्वारा आंशिक रूप से पानी चल रहा है।

1. बैरागढ
2. नैलगांव
3. कुल्सी
4. अघई
5. लोअर जामल
6. डाबर
7. सैल्डी
8. तैड़ी पोखटा

निम्न नहरों में पानी की कमी के कारण पानी नहीं चल रहा है।

1. काण्डी
2. जौरासी

एवं निम्न नहरों में अत्यधिक क्षतिग्रस्तता के कारण पानी नही चल रहा है।

1. जोगियाणा
2. घट्टगाड
3. आमसैण
4. कटघर वांयी
5. कोटा
6. छाम
7. अपर जामल
8. खरीक
9. कटघर दांयी
10. मोहनी रावत
11. बांयी निसनी

जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा में चकबन्दी

3--श्री गोपाल सिंह राणा--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा में 1986 से चकबन्दी कराये जाने के आदेश हैं ?

यदि हां, तो सरकार कब तक चकबन्दी करा देगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

तहसील खटीमा में वर्ष 1986 में कुल 115 ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिये गये थे, जिनमें से 4 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो कर पूर्ण हो चुकी है। शेष 111 ग्रामों में से 85 ग्राम ही वर्तमान में जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील खटीमा के अन्तर्गत आते हैं। जोत चकबन्दी नियमावली की धारा–3 के उपखण्ड (2 क0 क0) के अनुसार ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु चकबन्दी कमेटी के गठन का आदेशात्मक प्राविधान है। चकबन्दी न कराने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के प्रबल विरोध के कारण चकबन्दी कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है। जिससे उक्त ग्रामों में चकबन्दी प्रारम्भ नहीं हो पा रही है।

जनपद रूद्रप्रयाग में लिफ्ट तथा हाईड्रम सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में कितनी लिफ्ट तथा हाईड्रम सिंचाई योजनाएं संचालित तथा कितनी योजनाएं बन्द पड़ी हैं ?

क्या सरकार इन योजनाओं द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद रूद्रप्रयाग में 07 हाईड्रम योजनाओं पर 18 यूनिट स्थापित हैं, जो सभी चालू स्थिति में हैं, तथा जनपद रूद्रप्रयाग में 3 लिफ्ट योजनाएं तिलवाड़ा, कोटगी एवं भटवाड़ी में से कोटगी लिफ्ट योजना दि0 3–5–2002 से ट्रांसफार्मर की खराबी से बन्द है, दो अन्य कार्य कर रही हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी गढ़वाल की धनोल्टी पेशकारी तहसील को उच्चीकरण कर पूर्ण तहसील बनाना

5–श्री कौंलदास–

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि धनोल्टी पेशकारी जनपद टिहरी गढ़वाल का उच्चीकरण करके इसे पूर्ण तहसील बनाया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

धनोल्टी पेशकारी पूर्ण तहसील बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है। अतः इसे पूर्ण तहसील बनाया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य स्तरीय उर्दू अकादमी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

6—श्री प्रकाश पंत—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि सरकार उर्दू के प्रचार—प्रसार के लिए राज्य स्तरीय उर्दू अकादमी स्थापित किये जाने की कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त अकादमी स्थापित हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक, माध्यमिक एवं भाषा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

अद्यतन नहीं।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

समुचित समय पर विचार किया जायेगा।

जनपद रूद्रप्रयाग में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण

7—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के पुनः सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत—

जी नहीं।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार उत्तरांचल के लिए 4,21,700 बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत रूद्रप्रयाग जनपद का लक्ष्य 14,133 निर्धारित किया गया है। जनपद रूद्रप्रयाग के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 14,133 बी0पी0एल0 परिवारों का चयन कर समस्त बी0पी0एल0 परिवारों के राशन कार्ड जारी कर दिये गये हैं एवं तद्नुसार खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ की उप तहसील बेरीनाग को पूर्ण तहसील घोषित करने के सम्बन्ध में

8—श्री नारायण राम आर्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की उप तहसील बेरीनाग को पूर्ण तहसील घोषित किये जाने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक इसे पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी हाँ।

उप तहसील बेरीनाग पूर्ण तहसील बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करता है। अतः इसे वर्तमान में पूर्ण तहसील घोषित किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र की विधवाओं को विधवा पेंशन तथा अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में

9–श्रीमती विजय बडथ्वाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल में कितनी विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन व कितने अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है ?

क्या सभी पात्र विधवाओं को पेंशन व छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद टम्टा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर में 167 निराश्रित विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन व गत वित्तीय वर्ष में प्राईमरी स्तर में 1609, जूनियर स्तर में 338, हाईस्कूल स्तर में 45, इन्टरमीडिएट स्तर में 72 तथा पॉलीटेक्निकल स्तर में 7 अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को रुपये 9.30 लाख की छात्रवृत्ति दी गई।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

गोपेश्वर नगर की सुरक्षा हेतु नगरपालिका परिषद्, चमोली द्वारा तैयार की गई 7 नालों की योजना

10–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोपेश्वर नगर की सुरक्षा के मद्देनजर नगरपालिका परिषद्, चमोली द्वारा तैयार की गई 7 नालों के निर्माण की योजना शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जी नहीं।

शासन स्तर पर मात्र 4 नालों की योजना विचाराधीन है, जिनमें से बसन्त बिहार नाले की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

शेष तीन योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति बजट व्यवस्था की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

मार्च, 1999 में आये भूकम्प से प्रभावित श्रेणी 4 व 5 के परिवारों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में

11—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 1999 में आये भूकम्प, त्रासदी से प्रभावित श्रेणी 4 व 5 के परिवारों को क्षतिपूर्ति की अंतिम राहत राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है ?

यदि हाँ, तो राहत राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत—

वर्ष 1999 में पर्वतीय जनपदों में भूकम्प से भवनों को हुई क्षति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की द्वारा किये गये क्षति के आंकलन के आधार पर भवनों को हुई क्षति का वर्गीकरण जी–1 से जी–5 तक किया गया था। जी–4 एवं जी–5 में अनुमन्य राहत सहायता दैवी आपदा राहत निधि एवं मा0 मुख्यमंत्री भूकम्प पीड़ित सहायता कोष से देय थी। तत्कालीन समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपदा राहत निधि से रु0 34,87,21,400/– एवं मा0 मुख्यमंत्री भूकम्प पीड़ित सहायता कोष से 7,87,88,000/– कुल रु0 42,75,09,400/– की धनराशि भूकम्प पीड़ित जनपदों को जी–4 एवं जी–5 में आवंटित की गई थी। जो प्रभावितों में वितरित कर दी गई है। जी–4 एवं जी–5 में मा0 मुख्यमंत्री भूकम्प पीड़ित सहायता कोष से देय अवशेष धनराशि उत्तरांचल में उपलब्ध नहीं है। मा0 मुख्यमंत्री भूकम्प पीड़ित सहायता कोष से धनराशि प्राप्त होने पर ही भुगतान सम्भव है।

जनपद हरिद्वार के सरकारी नलकूपों की संख्या एवं उनसे सिंचाई के सम्बन्ध में

12—श्री काजी निजामुद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कितने सरकारी नलकूप हैं ?

क्या सरकार यह भी जानकारी देगी कि एक सरकारी नलकूप से कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है ?

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

जनपद हरिद्वार में 251 सरकारी नलकूप हैं।

एक नलकूप से औसतन 66.08 हेक्टेयर सिंचाई होती है।

रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय की अन्यत्र स्थापना के सम्बन्ध में

13–श्रीमति आशा नौटियाल–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नवसृजित जनपद रुद्रप्रयाग के जिला मुख्यालय की स्थापना अन्यत्र किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कहाँ ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

जी नहीं।

जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा जिला मुख्यालय के भवन हेतु स्थान बेला में 3.70 हे0 वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जो भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में हुए भूस्खलन से प्रभावित गाँवों के पुनर्वास की योजना के सम्बन्ध में

14–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 एवं वर्ष 2001 में जनपद रुद्रप्रयाग में हुए भूस्खलन से प्रभावित गांवों के पुनर्वास की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कितने गांवों को और कब तक पुनर्वासित किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत–

वर्ष 1998 में जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील ऊखीमठ के भूस्खलन से प्रभावित 18 ग्रामों के 1562 परिवारों को भू–वैज्ञानिकों की भू–गर्भीय सर्वेक्षण के आधार पर उन्हीं ग्रामों के सन्निकट सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किये जाने की कार्यवाही की गई है तथा वर्ष 2001 में हुये भू–स्खलन से प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भू–गर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विचार किया जायेगा।

डीडीहाट को जनपद बनाने के सम्बन्ध में

15—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डीडीहाट मुन्स्यारी–धारचूला सीमान्त तहसीलों की विषय भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या सरकार डीडीहाट को जनपद बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 हरक सिंह रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुन्स्यारी–धारचूला डीडीहाट तहसीलें सम्मिलित रूप से जनपद निर्माण हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं। अतः उक्त तहसीलों को मिलाकर डीडीहाट जनपद बनाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा चम्पावत जनपद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के पदों का सृजन

16—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा चम्पावत जनपद कब बने तथा इन जनपदों में अभी तक किन–किन विभागों के अधिकारियों के पदों का सृजन नहीं हुआ है ?

क्या सरकार जनहित में उक्त तीनों जनपदों में अधिकारियों के पदों का सृजन कराये जाने पर विचार करेगी ?

डा0 हरक सिंह रावत—

जनपद बागेश्वर, चम्पावत दिनांक 15–9–1997 एवं जनपद रुद्रप्रयाग 18–9–97 को बनें तथा इन जनपदों में लघु सिंचाई, बेसिक शिक्षा, कृषि, उद्योग, दुग्धशाला विकास, आर ई एस सैनिक कल्याण, बाल विकास के साथ कुछ अन्य कतिपय विभागीय अधिकारियों के पदों का सृजन नहीं हुआ है।

विभागों का पुनर्गठन करते हुए आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(डा0) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा के प्रथम सत्र में प्राप्त नियम 301 की सूचनाओं पर सरकार द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखती हूँ।

नियम 301

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्री मदन कौशिक, श्री कैलाश शर्मा, श्री अजय भट्ट, श्री चन्द्रशेखर, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री अनिल नौटियाल की सूचना को मैं सुन रहा हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि 301 के अन्तर्गत कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ? यदि यह उल्लेख कर दें कि किसकी सूचनाएं स्वीकृत हुई है और किसकी अस्वीकृत, तो उचित होगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। श्री मदन कौशिक की जनपद हरिद्वार हर की पैड़ी पर सीवरेज के बाई नाले सीधे गंगा जी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री कैलाश शर्मा जी की जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। श्री अजय भट्ट जी की जनपद अल्मोड़ा के द्वारसों काकड़ी घाट मोटर मार्ग के 1 कि0मी0 में कोसी नदी पर मोटर पुल के रोलर द्वारा स्थान छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री चन्द्रशेखर जी की जनपद हरिद्वार में मण्डी समिति भगवानपुर में मण्डी परिषद् पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में। श्री बिशन सिंह चुफाल जी की जनपद पिथौरागढ़ में नामिक पेयजल योजना के प्रभावी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की जनपद रुद्रप्रयाग में विकास खण्ड जखोली पट्टी सिलगढ़ में दिनांक 7 मई, 2002 को हुई ओलावृष्टि से गेहूँ की फसल की तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा श्री अनिल नौटियाल जी की जनपद चमोली एवं पौड़ी को जोड़ने वाले मार्ग कर्णप्रयाग, नौटी, बिछौना, गिद्दोंखाल, पौड़ी मोटर मार्ग पर वाहन का संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

जनपद हरिद्वार की हर की पैड़ी पर सीवरेज के बाई नाले सीधे गंगा जी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार में सीवरेज 1936 में किया गया उस समय हरिद्वार की जनसंख्या 20–25 हजार के लगभग थी लेकिन आज जनसंख्या दो लाख और प्रतिदिन लाखों तीर्थ यात्रियों के हरिद्वार आगमन से हरिद्वार के सीवर की स्थिति दयनीय है। आज हर की पैड़ी पर सीवरेज के कई नाले सीधे गंगा जी में डाले जा रहे हैं जो हरिद्वार में गंगा जी की पवित्रता को बचाये रखने में एक कठिन चुनौती है।

इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगढ़ा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, विगत दिनों जनपद अल्मोड़ा के लमगढ़ा विकास खण्ड में भयंकर आँधी, वर्षा व ओलावृष्टि से फलों को काफी नुकसान हुआ है तथा प्राथमिक पाठशाला तुलेडी व सत्यू की छतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जिससे छात्र/छात्राओं के लिए पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं रह गई है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मांग करता हूँ कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये तथा उक्त क्षतिग्रस्त पाठशालाओं के पुनर्निमाण हेतु तत्काल कार्यवाही करवायी जाये।

जनपद अल्मोड़ा के द्वारसो काकड़ी घाट मोटर मार्ग के 1 कि0मी0 में कोसी नदी पर मोटर पुल के रोलर द्वारा स्थान छोड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के द्वारसो काकड़ी घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में कोसी नदी पर निर्मित 56 मीटर स्थान के मोटर पुल के रोलर अपना स्थान छोड़ चुके हैं जिसके कारण इस पुल के दुर्घटनाग्रस्त होने पर खतरा बना हुआ है, जिससे व्यापक रूप से शासन की धनराशि की हानि के साथ जन–हानि की भी आशंका है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ताकि समय पर पुल को ठीक किया जा सके।

जनपद हरिद्वार में मण्डी समिति भगवानपुर में मण्डी परिसर अतिक्रमण के सम्बन्ध में नियम 310 की सूचना

श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में मण्डी समिति भगवानपुर मे मण्डी परिसर में स्थित दुकानों में उपस्थित स्थान में दुकान न लगा कर व्यापारियों द्वारा सड़कों के किनारे की भूमि पर अतिक्रमण कर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर दिया गया है, जिस कारण वाहनों को तथा नागरिकों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्त्व के प्रश्न पर सरकार से वक्तव्य की माँग करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ में नामिक पेयजल योजना के प्रभावी न होने के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ नामिक पेयजल योजना बंद होने से क्षेत्र में पेयजल संकट बना हुआ है। जल निगम द्वारा 2001 को नामिक पेयजल योजना का निर्माण किया

गया। दूरस्थ स्थान होने के कारण विभाग द्वारा कोई देख–रेख न होने से तथा गुणवत्ता ठीक न होने से योजना बन्द पड़ी है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर जाँच कराकर उचित कार्यवाही की जाये।

जनपद रुद्रप्रयाग में पट्टी सिलगढ़ में दिनांक 7 मई, 2002 को हुई ओलावृष्टि से गेहूँ की फसल की तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, विकासखण्ड जखोली रुद्रप्रयाग की पट्टी सिलगढ़ के ग्रामों में ओलावृष्टि के कारण कृषकों की खेत में खड़ी गेहूँ की फसल 90 प्रतिशत नष्ट हो गई। यह ओलावृष्टि 7 मई, 2002 को हुई। इस ओलावृष्टि से कुरछोला, धारकोट, जखनोली, टाट, चोपड़ा तथा जखोली पट्टी बड़मा में गेहूँ की फसल को भारी नुकसान हुआ है। गरीब किसानों के ऊपर ओलावृष्टि वज्रपात के समान है।

मैं, माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पट्टी सिलगढ़ तथा बड़मा के जिन गाँवों में ओलावृष्टि से गेहूँ की फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें नियमानुसार राहत दी जाये।

जनपद चमोली एवं पौड़ी को जोड़ने वाले नौटी, बिछौना, पौड़ी मोटर मार्ग संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 की सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद चमोली एवं पौड़ी को जोड़ने वाले वर्षों पुराने मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–बिछौना–बिदेखाल–पौड़ी मोटर मार्ग पर अभी तक भी वाहन का संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैः–

श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री हरबंस कपूर, श्री नारायण पाल, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मालचन्द, श्री प्रकाश पंत, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट।

"नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाऐं"

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्री प्रकाश पंत की सूचना "पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने के पश्चात् भी सरकार द्वारा चुनाव न कराकर संविधान के अनुच्छेद 243 (ड)–1 तथा 243 (ड)–3 का उल्लंघन के संबंध में है। यह विषय पूर्व में अन्य नियमों के अन्तर्गत उठाया जा चुका है। अतः मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन की सूचना जो जनपद ऊधमसिंह नगर में "बंगाली और गुरुमुखी" भाषा की शिक्षा पढ़ाने हेतु शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में है। मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

कल माननीय प्रकाश पंत जी ने पृथक ग्राम पंचायत निदेशालय की स्थापना के संबंध में मामला उठाया था, उस समय संबंधित मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं थे। उस प्रश्न का निस्तारण नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी कृपया अपना पक्ष रखें।

परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह दें कि उन्होंने वहाँ पर कोई पत्र नहीं पढ़ा है। उन्होंने वहाँ इसकी घोषणा की है। . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की।

जनपद हरिद्वार में इण्टर कालेज स्थापित किए जाने विषयक याचिका

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद हरिद्वार के कस्बा लण्ढौरा में जनहित में इण्टर कालेज स्थापित किये जाने विषयक श्री खलील अहमद एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा में अग्नेरी मंदिर चौखुटिया से जौरासी मोटर मार्ग के निर्माण किए जाने विषयक याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा में अग्नेरी मंदिर, चौखुटिया से जौरासी मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने विषयक श्री राजेश जोशी एवं श्री यू0एस0 नेगी आदि, निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैं निम्न 5 को ग्राह्यता पर सुनूँगा :

श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल।

द्रोण होटल में विधायकों के रहने की अव्यवस्था एवं असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन की सूचना पर मा0 अध्यक्ष का निर्णय

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, विशेषाधिकार पर बोलना चाहता हूँ। आज सुबह द्रोण में जिस तरह लोगों ने अंदर आकर नारेबाजी की और विधायकों को धमकी दी। दूसरे वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वे ठीक नहीं हैं। यदि हम कैन्टीन में नाश्ता करने जाएं तो कम से कम एक घंटे का समय लगता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हम विधायकों को द्रोण होटल में कमरे दिए गए हैं वहाँ बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। कैन्टीन में खाना एक घंटे बाद मिलता है, पानी पीने लायक नहीं है एक्वागॉर्ड बन्द पड़ा है, बैडसीट फटी हुई होती है और गन्दी रहती है वहाँ रहने लायक नहीं है। दूसरे जो हमारे ड्राइवर व सुरक्षा गार्ड हैं उनके लिए रात में सोने के लिए स्थान नहीं है, पहले तो हम जाड़ों में गाड़ी में उनको सुला देते थे परन्तु अब गर्मियों में कहाँ सुलायें क्योंकि बाहर 100 रुपया कमरे के पड़ते हैं। दूसरी बात वहाँ रात में लोग शराब पीकर गाली देते हैं, उल्टियाँ करते हैं आज की तारीख में वहाँ रहने लायक नहीं है इसलिए इस पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री (डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यदि कोई माननीय सदस्य द्रोण होटल में नहीं रहना चाहता है तो उन्हें साढ़े सात हजार रुपया बाहर मकान लेने के लिए सुविधा अनुमन्य है। यह सही है कि द्रोण होटल के एक कक्ष में असुविधा होती है आगन्तुकों को भी हम बैठा नहीं सकते और कार्य करने में भी असुविधा होती है। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के समय में इन सारी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए साढ़े सात हजार रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें माननीय सदस्य घर बाहर ले सकते हैं, हो सकता है माननीय सदस्य नये हैं उन्हें जानकारी न हो वह सचिव, विधान सभा से इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। सुविधाओं से संबंधित पुस्तिका बन गई है और नियमावली भी बन गई है, आपने देख भी लिया होगा। मैं भी 14–15 महीने द्रोण होटल के कक्ष संख्या 204 में रही हूँ, परन्तु हमने कभी ऐसी शिकायत नहीं की। यह सही है कि एक कक्ष में असुविधा होती है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, वहाँ पर नारेबाजी होती है, लोग शराब पीते है और वहाँ पर असामाजिक तत्व आ जाते है वहाँ पर गुण्डागर्दी होती है, जो सुविधा वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है वह किसी विधायक के माफिक नहीं है। राजधानी में यह सब हो रहा है इसलिए इस पर आप सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।

डा0 "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश–

आप तो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं मैं भी 14–15 महीने उसमें रही हूँ। ट्रेड यूनियन के लोग हमसे मिलते थे हम उनसे बात करते थे, परन्तु उन्हें असामाजिक तत्व कहना उचित नहीं होगा। ये वही लोग हैं जो बाहर धरने–प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जहाँ तक

शराब पीने का सवाल है जब तक इसका परीक्षण न हो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप तो जानते हैं कि जब माननीय अध्यक्ष जी किसी विषय के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन्होंने इसे पहले भी स्थगित किया है। यह कहना कि सारी राजधानी में क्राइम हो रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इस प्रकार की कठिनाइयाँ हमें भी सुनने को मिलती है माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है वहाँ पर शराब पीकर लोग उधम मचाते हैं इसलिए कम से कम आप इसका संज्ञान अवश्य लें और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रातःकाल प्रश्नकाल से पहले मैंने प्रश्न उठाया था और जैसा माननीय सदस्य हरबंस कपूर जी ने कहा कि नारेबाजी भी होती है, मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है।

मान्यवर, शिक्षाबन्धु का मामला था, वे बेचारे विधानसभा के गेट के आगे कई दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई उनको देखने नहीं गया है। उनका वह आक्रोश था और उस आक्रोश का कोई समाधान नहीं निकला है इसलिए वह अपनी बात सुनाने आए थे। मान्यवर, इस पर अलग व्यवस्था दी जाये और जो अंशकालिक शिक्षाबन्धु आन्दोलन था वह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अतः इस पर सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष–

सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में माननीय ऐरी जी ने अपनी भावना व्यक्त की और यह सरकार का दायित्व है कि आम आदमी की सुरक्षा हो। मैंने सरकार को आज प्रातः ही भेज दिया है कि माननीय सदस्यों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाये और दूसरा जो अव्यवस्था के बारे में सवाल उठाया, तो उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात को यहाँ पर रखा और मैं समझता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को गम्भीरता से लिया होगा और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि यह जो बिन्दु उठाये गये हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम लोगों को आवासीय भत्ता 7500 रु0 मिल रहा है। उसमें यह कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स कटेगा। मान्यवर, हमने 7500 रु0 का किराए का मकान ले लिया है तो इसमें इनकम टैक्स कहाँ से देंगे।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम लोगों का तो नहीं कट रहा है। ऐसा नहीं है किसी का इनकम टैक्स नहीं कटेगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सम्पूर्ण उत्तरांचल की मुख्य समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। . . . .

मान्यवर, हमारे कृषकों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। आज अधिकांश नहरें टूटी हुई हैं, जो लिफ्ट सिंचाई योजना है, वह भी काम नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा था हमारे कृषक किस तरह से धान की रोपाई करेंगे। मैं समझता हूँ सरकार के पास धन नहीं है, मगर मान्यवर, अस्थाई व्यवस्था हो सकती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी जगह जो अस्थाई व्यवस्था हो सकती है, वह करें। मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, सत्तापक्ष इस बात को अन्यथा न लें, कभी हम भी सत्ता में थे। (हँसी) मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं मिलता है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश होने चाहिए सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर रहें। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को कह दें कि नहरों को दुरुस्त करें ताकि किसान अपने धान की रोपाई समय से कर सकें। मान्यवर, यह बिन्दु तात्कालिक, अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है, इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं श्री कण्डारी जी की बात का समर्थन करता हूँ। इस समय सिंचाई व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे अल्मोड़ा जनपद में चौखुटिया सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में नहरें टूटी हुई हैं। यहाँ पर 9 अवर अभियंता के पद हैं, मगर वर्तमान में एक अवर अभियंता पूरे सिंचाई क्षेत्र को देख रहा है। इस बार धान की रोपाई नहीं हो सकी है, मेरा निवेदन है कि कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था की जाय और जो अवर अभियंताओं की कमी है, उसको पूरा किया जाय। मान्यवर, इस क्षेत्र में यदि रोपाई नहीं हुई तो बड़ा नुकसान होगा।

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह सजवाण)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के सवाल का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, उत्तरांचल में सिंचाई हेतु निर्मित अधिकांश नहरें, ट्यूबवैल एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कार्य कर रही हैं एवं उनसे सिंचाई हो रही है। कतिपय नहरें, ट्यूबवैल,

लिफ्ट सिंचाई योजनायें विभिन्न कारणों से अकार्यशील एवं क्षतिग्रस्त हैं इनके अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में रु0 1053.19 लाख की धनराशि माह अप्रैल, 2002 में अवमुक्त की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार हेतु रु0 4398.95 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गई है। जिसे बजट पारित होने के उपरान्त अवमुक्त कर दिया जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी अस्वस्थ हैं। यह मामला गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ तथा सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पवार–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि टिहरी बाँध का गेट नं0 3 और 4 बन्द हो चुका है और इस वर्ष भयंकर बर्फबारी हुई है और मानसून भी आने वाला है इसके आस–पास झील बन चुकी है लेकिन शहर को अभी तक खाली कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ पर एक हजार परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए वह अभी तक नहीं की गई और जल स्तर बढ़ने से वहाँ के निवासियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। साथ ही बाँध का कार्य पूर्ण होने पर है। अभी तक पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अगर किसी कारणवश गेट नं0 1 व 2 बन्द हो जाते हैं तो जिस ऊँचाई तक बाँध बना है वहाँ तक पानी भर जायेगा जिससे हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

मान्यवर, टिहरी बाँध का निर्माण पूरे राष्ट्रहित के लिए किया जा रहा है। मेरे माननीय सदस्य ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो वहाँ के पुराने रहने वाले लोग हैं, 1985 में एक सूची जारी की गई थी कि वहाँ कितने लोग हैं ताकि भविष्य में उनकी संख्या के आधार पर भूमि की खरीद की जाय, जहाँ उनको बसाये जाने की योजना है।

मान्यवर, हम उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं जैसे शिक्षा हेतु स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण तथा अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से स्थापन का कार्य केन्द्र सरकार की एजेन्सी के पास आ गया चूँकि केन्द्र का हस्तक्षेप अधिक था 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता है इसलिए उनके अधीन काम करते रहे, उसी का परिणाम है कि कार्य शून्य रहे। उन्होंने विस्थापित के लिए न तो जमीन खरीदी, न ही अन्य कोई उपाय किया। पिछले साल सिंचाई विभाग ने इस कार्य को अपने

हाथ में लिया था तथा अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जितने गाँव बसाए जाने हैं उनके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कर ली है वह सरकारी भूमि है, उसका अधिग्रहण किया गया है। जो वहाँ के लोगों के आमदनी के साधन थे, उनके भरण पोषण के लिए भी हमें सोचना है। उसके बारे में कार्य किये जा रहे हैं। आउट ऑफ डेट के बाद के जितने भी भूमिधर है या दुकानदार है उनको कम्पनशेसन देने में इसलिए परेशानी आ रही है क्योंकि आउट ऑफ डेट को व्यवहारिक रूप से बढ़ाया नहीं गया है। आउट ऑफ डेट मार्च, 85 थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में आउट ऑफ 1967 बाँध दी। जिससे न तो लोग जमीन बेच पाए और न ही खरीद पाए। काश्तकारों को भी हानि हुई है उस हानि पर समिति चिन्तन करेगी और ऐसी राशि निर्धारित करेगी जो आज के युग में व्यवहारिक हो। मान्यवर, एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुछ बाँध विरोधी लोग भोले-भाले लोगों के गुमराह कर रहे हैं, जबकि यही लोग उसके बाधक रहे हैं जिससे योजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है।

पिछली भा0ज0पा0 सरकार जिन परिवारों को उनके निवेदन पर सवा लाख प्रस्तावित किया था, स्वीकृत नहीं किया था उनमें भी तीन श्रेणियाँ थी। हम एक नया पैकेज लाए हैं जिसके तहत पूर्व में भाजपा सरकार के शासन में मिलने वाली राशि से हमने राशि दुगनी कर दी। कुछ लोग शहर नहीं छोड़ रहे हैं जबकि शहर छोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं।

मान्यवर, सवा सौ रुपये का रहा होगा तो उसको बढ़ाकर 250 रुपया कर दिया, 350 रुपये का रहा होगा तो उसको 700 रुपया कर दिया। इसी प्रकार यदि सवा दो लाख का था तो उसको बढ़ाकर साढ़े चार लाख कर दिया है। बहुत सारे लोग इस पैसे का सदुपयोग भी करने लगे हैं। जो सूचना यहाँ पर उठाई गई है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि टिहरी में 1185 भूमिधर परिवार थे-722 निजी मकानों में तथा 22 सरकारी व्यवस्था में अन्तरित हो गये हैं।

उत्तरांचल सरकार द्वारा भूमिधरों के लिए भवन निर्माण सहायता का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है। प्लाट के आकार के आधार पर (60 से 100 वर्गमीटर तक) 2.30 लाख, (120 से 200 वर्गमीटर तक) 3.50 लाख तथा (200 से ऊपर) 4.50 लाख दिया जा रहा है। दिनांक 31-5-2002 तक 800 भूमिधर परिवारों ने विशेष पैकेज के आवेदन-पत्र प्राप्त कर लिए थे-699 आवेदन-पत्र जमा हो गये हैं, 292 के चेक कट चुके हैं।

पुनर्वास निदेशालय के सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 300 परिवार ऐसे हैं जिन्हें प्लाट आवंटित किये गए लेकिन अभी तक मकान नहीं बने- इन 300 परिवारों को 6 महीने के लिए "टिन शेड" आवंटित किये जा रहे हैं ताकि इस अवधि में वे अपने मकान निर्मित कर सकें।

वर्तमान में औसतन 6 परिवार प्रति दिन पुरानी टिहरी से नई टिहरी अथवा अन्य पुनर्वास स्थलों को अन्तरित हो रहे हैं। दिनांक 20-5-2002 से 30-5-2002 तक 60 परिवार अन्तरित हुए-अगले 10 दिन में 50 परिवारों के अन्तरण की सम्भावना है।

पुरानी टिहरी नगर में आगामी मानसून में जलस्तर 660 मीटर ऊँचाई तक भरने की सम्भावना है। वर्तमान जलस्तर 638.5 मीटर है। 660 मीटर तक शहर में आने वाली

आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने हेतु विस्तृत कार्य योजना पुनर्वास निदेशक द्वारा बनाई गई है, जिसका अनुश्रवण शासन में नियमित रूप से किया जा रहा है। दिनांक 21–05–2002 को हमारी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कार्य योजना पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ था। तदुपरान्त दिनांक 01–06–2002 को सचिव, सिंचाई एवं ऊर्जा द्वारा भी बैठक करके टिहरी अन्तरण कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। कार्य योजना के दो भाग हैं–

(अ) सामान्य अन्तरण कार्य योजना

(ब) आपातकालीन कार्य योजना

दिनांक 16–6–2002 तक 660 मीटर तक आने वाली आबादी को अन्यत्र अन्तरित करके सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की सूचना पर माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नैनीताल शहर न केवल जिला मुख्यालय है, वरन् कुमाऊं मण्डल का मुख्यालय होने के साथ–साथ एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। माननीय उच्च न्यायालय की प्रतिष्ठित बैंच भी नैनीताल में स्थित है और हमारा राजभवन भी नैनीताल में है। जो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ वह जन स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है। जन स्वास्थ्य लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल के साथ जुड़ा है। वहाँ चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाला जो बी0 डी0 पाण्डेय चिकित्सालय है वहाँ एक जमाने में बेहतर सुविधा हुआ करती थी, किन्तु आज वहाँ पर जो डॉक्टरों की संख्या है वह भी आधी है और विशेषज्ञ चाहे वे दन्त चिकित्सक हों, आर्थोपेडिक हों, उन सभी का अभाव है, तकनीक में भी भारी कमी है और वी0आई0पी0 क्षेत्र होने के नाते रोज वी0आई0पी0 के साथ उनकी ड्यूटी होती है और पोस्टमार्टम वहाँ पर रोज ही होते हैं उसमें भी एक डॉक्टर इन्गेज रहता है और इसे हम माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ले आए हैं और वहाँ की जनता में इससे बड़ा आक्रोश है, लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है और मैं कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ स्थिति यह हो गई है कि वहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया है। मैं समझता हूँ कि यह किसी भी सरकार के लिए, उचित नहीं है कि किसी को उसके दायित्व के लिए कोर्ट जाना पड़े। एक मामला उच्च–न्यायालय में आया है और उस पर उच्च–न्यायालय ने कहा कि सरकार अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करें। चूँकि चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता तत्काल होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा बी0 डी0 पाण्डेय अस्पताल के बारे में जो चिन्ता प्रकट की गई है। उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में चिकित्सकों की कमी है और उत्तरांचल के अन्दर चिकित्सकों की कमी के लिए प्रयास किए गए हैं और पिछले दिनों लोक सेवा आयोग द्वारा 430 चिकित्सकों की विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, लोक सेवा आयोग द्वारा इस कार्यवाही को पूर्ण कर दिया जाएगा तो हम लोग वहाँ पर चिकित्सकों की पूर्ति कर देंगे। सरकार इस मामले में गम्भीर है और 3 माह के अन्दर ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसे पूर्ण कर लिया जाएगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 430 चिकित्सकों की नियुक्ति की यह समस्या दूर–दराज तक जारी है। लेकिन जो बिन्दु माननीय सदस्य ने उठाया है उन्होंने खासतौर पर नैनीताल की विशेष स्थिति को देखते हुए उठाया है। अगर आप पूरी स्ट्रेन्थ दे भी देंगे तो भी यह समस्या जारी रहेगी।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार इस मामले में गम्भीर है और हमने स्वयं वहाँ पर जाकर बी0डी0 पाण्डेय अस्पताल का निरीक्षण किया और मैं शीघ्र ही व्यवस्था कर दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर जिला मुख्यालय में बन्दोबस्त का आफिस है।

मान्यवर, वहाँ पर एक सहायक अभिलेख अधिकारी श्री लक्ष्मी शंकर सिंह हैं, इनसे सभी कृषक त्रस्त हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से बगैर रिश्वत के मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर मुकदमों की लाइन है। एक महीने में 2–2, 3–3 तारीखें दी जाती हैं, लेकिन मुकदमे फाइनल तभी होते हैं जब टेबिल के नीचे से लेन–देन किया जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, उनसे मिला भी था। ये ए0आर0ओ0 हैं व उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं उन्हें तो अब तक चला जाना चाहिए था पता नहीं क्यों रुक गये। मान्यवर, इनके खिलाफ काफी शिकायतें आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे किसानों को मुक्ति दिलाएं। यह लोक महत्व का प्रश्न है।

(सदन में मोबाइल फोन की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मोबाइल बन्द रखें अन्यथा जब्त कर लिया जायेगा।

राजस्व मंत्री (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर जिले में तहसील गदरपुर के 68 ग्रामों में बन्दोबस्त का कार्य चल रहा है जिसमें 24 ग्रामों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इन 24 ग्रामों में सर्वे का कार्य पूर्ण होने के बाद जब तत्कालीन जिलाधिकारी के सम्मुख सर्वे के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई तो उन्होंने इन ग्रामों के जो भू–अभिलेख थे, राजस्व अधिकारियों के द्वारा इसकी जाँच कराई गई और 155 जो आदेश थे, जो अनियमितताएं पाई गई, जो सरकार के विरुद्ध थीं, इसमें मान्यवर, सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई है।

मान्यवर, सरकार की ओर से जो अपील दाखिल की गई है जो मान्यवर वह इस समय विचाराधीन है। जहाँ तक छोटे किसानों की भूमि की शिकायत है तो इस तरह की कोई शिकायत शासन और सरकार के सामने नहीं आई है क्योंकि चकबन्दी और बन्दोबस्त में अंतर होता है। क्योंकि बन्दोबस्त में जो खेत होते हैं छोटे किसानों के वह उसी के पास रहते हैं और भू–अभिलेख अधिकारी छोटे किसानों के खेत को बड़े कृषकों को देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर इस तरह का माननीय सदस्य जी ने उल्लेख किया है नियम 56 के अन्तर्गत, तो मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत साफ है और वह ईमानदारी के साथ काम करना चाहती है और जिस भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमारे सम्मुख आई है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य ने किसी सहायक भू–अभिलेख अधिकारी का यहाँ उल्लेख किया है तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि वह मेरे कक्ष में किसी भी समय आ जाए या फिर मुख्यमंत्री जी को या मुझे लिख कर दे दें। यदि कहीं पर भी भू–अभिलेखों में अनियमितता पाई गई तो जिसने भी वह गलती की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है मैं उसका संज्ञान लेता हूँ और उस पर उच्च स्तरीय जाँच कराऊँगा इसमें चाहे कितने से कितना बड़ा अधिकारी क्यों न हो यदि वह दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महाजन जी को सुनने के पश्चात तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, शासन के लगभग सभी विभागों में जो बैक लॉग है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उत्तरांचल प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए रिक्त पदों पर विज्ञापन होने जा रहा है। उसमें अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है और एल0 टी0 वेतनमान में कितने पद आरक्षित रखे गए हैं। यदि आरक्षित पदों पर आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो कब तक कर रहे हैं। यदि नहीं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इसकी जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है उससे अलग हटकर आप सवाल पूछ रहे हैं।

श्री नारायण पाल–

'मान्यवर, अभी मुझे पाण्डेय जी ने दिया, आज मेरे कुछ कागज खो गए थे।'

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा की एक परम्परागत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, वहाँ पर एक बेगुन नदी है।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल जी आप अपने विषय से हट रहे हैं।

शिक्षा एवं भाषा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, प्रदेश शासन द्वारा प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एल0 टी0 ग्रेड) के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु प्रकरण विचाराधीन है। प्रदेश में लगभग 2000 एल0 टी0 ग्रेड वेतनक्रम के रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित चयन किया जायेगा जिसमें गढ़वाल मण्डल के 1200 तथा कुमायूँ मण्डल के 800 पदों के चयन की कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप की जायेगी। एल0 टी0 ग्रेड के रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित चयन यथाशीघ्र किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में जैश–ए–मोहम्मद के विषय में पेपर में आया है। चूँकि यह बहुत ही गम्भीर विषय है इस लिए इस पर चर्चा करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सामान्य चर्चा में ले लेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, यह सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, देख लेंगे।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में कुछ मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। अगर आप इनको सुनेंगे तो आप मुझे भी सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लूँगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 09 पुकारे जाने पर)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य मैं आपको चेम्बर में सुन लूँगा।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बजट चर्चा पर बोलिये।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे प्रदेश में कुछ आय के श्रोत भी हैं, अगर इनको बजट में ले लिया जाय तो वह आय का बहुत बड़ा साधन हो सकते हैं। मान्यवर, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं, जिनको इस बजट में लिया जाना अति आवश्यक था। मान्यवर, कई ऐसी समस्याएं हैं जो आम जनता के हित में हैं। आज प्रशासन की तरफ से पुलिस महकमें के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। पुलिस महकमा भ्रष्टाचार से ओत प्रोत होकर निष्क्रिय होता चला जा रहा है। मान्यवर, इसको हल्केपन से न लें यह सच्चाई का विषय है। भ्रूण हत्या जैसे गम्भीर विषय को भी सरकार ने बजट में नहीं लिया है। मान्यवर, भ्रूण हत्या ऐसा विषय है, जिससे प्रकृति का सामंजस्य बिगड़ता चला जा रहा है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके गम्भीर परिणाम हमें भुगतने होंगे। बजट में इस विषय के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही इसको प्रतिबन्धित करने के लिए सरकार ने कोई प्राविधान रखा है। मान्यवर, 1992 से पहले यहाँ जितना भी जंगलात में वृक्षारोपण सरकार द्वारा किया जाता था और उसके अन्दर

खेती का जो धंधा था, वह किसानों को तीन साल के लिए लीज पर देकर खेती होती थी और यह लीज की राशि करोड़ों रुपये थी।

मान्यवर, सरकार द्वारा वर्ष 1992–93 उत्तर प्रदेश में कुछ आतंकवादियों के आगमन से सरकार द्वारा खेती हेतु लीज पर दिया जाना बन्द कर दिया गया। आज जब कि उत्तरांचल में हमारा जंगलात का महकमा है यह कार्य निगम को दिया गया है। उसको खेती योग्य बनाने के लिए आज उस प्रक्रिया को चालू किया जाय। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अब प्रदेश में कोई आतंकवाद नहीं है यह बहुत बड़ी योजना है। इस योजना पर सरकार विचार करे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बजट के आय–व्ययक पर चर्चा हो रही है, अधिकारी दीर्घा में कोई अधिकारी बैठा नहीं है, उन्हें यहाँ पर होना चाहिए ताकि वे नोट कर सकें। इस बात को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अधिकारियों को दीर्घा में बैठना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, यह कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अपने–अपने विभाग के लिए हम बैठे हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं सरकार के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि उद्योग बहुत बड़ा आय का श्रोत है, इसमें उद्योगों के प्रति न तो कोई ऐसी योजना लाई गई है जिससे आने वाले समय में उद्योग यहाँ आकर्षित हों, उसको फलीभूत होने के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं शामिल की गई है। यहाँ के उद्योग बन्दी की कगार में हैं और यहाँ से वे अपना उद्योग बन्द कर दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई जिससे मौजूदा उद्योग को कोई राहत मिले जिससे आने वाले समय में उत्तरांचल के लिए उद्योग आकर्षित हो सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि इसके लिए बजट का अंश अलग से निर्धारित होना चाहिए, जिससे इस प्रदेश का औद्योगिक विकास हो पाए। जिला ऊधमसिंह नगर में काशीपुर, जनपद नैनीताल और रामनगर की सीमा पर नेपा की लगभग 4 हजार एकड़ जमीन प्रदेश सरकार को ट्रान्सफर होने जा रही है। प्रदेश सरकार के पास इस जमीन की क्या योजना है, वहाँ पर क्या किया जाना है।

मान्यवर, जब कि इससे पूर्व ऐसी सूचना दी गई थी कि वहाँ पर इन्टरनेशनल लेविल के खिलाड़ियों के लिए क्रीड़ा स्थल बनाया जाएगा और उसके सौन्दर्यीकरण के लिए काम किया जायेगा। हमने सरकार से हवाई पट्टी बनाने के लिए कहा था यदि वहाँ पर हवाई पट्टी बनाई जाती तो जो पहाड़ का पर्यटक विभाग है उसको बहुत लाभ होता। विदेशी पर्यटक आते जिससे पहाड़ को लाभ मिलता। मान्यवर, आज मुरादाबाद से काशीपुर को जाने वाली सड़क की बहुत चर्चा है। चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में है कि यदि

मुरादाबाद से काशीपुर जाना हो तो जिस सफर को करने में एक घण्टे का समय लगता है उसे पूरा करने में ढाई घण्टे का समय लगता है। चार हजार एकड़ नेपा की जमीन जो सरकार को हस्तांतरित होने जा रही है उसके लिए कोई योजना रखनी चाहिए थी, उसके लिए बजट रखा जाना चाहिए था मैं इस बात को आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मान्यवर, मैं विधायक कोटे पर भी थोड़ी बात कहूँगा। विधायक कोटा 50 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर आप देखें जो कार्य विधायकों के द्वारा विधायक कोटे से किए जाते हैं, उनकी देख–रेख भी विधायक ही करता है और वह काम भी बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और वही काम जब किसी महकमे द्वारा करवाया जाता है तो वह मानकों के अनुरूप नहीं होता। मान्यवर, विधायक कोटे की राशि एक करोड़ की जाए।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कृपया संक्षिप्त में बात कहें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, बस थोड़ी सी बात मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहूँगा। पिछले 25–30 सालों से हमारे प्रदेश में शिक्षा का उच्चीकरण नहीं किया गया है। जहाँ पर प्राइमरी स्कूल थे पहले वहाँ आज भी प्राइमरी स्कूल ही हैं, जो हाई स्कूल थे वह अब भी हाई स्कूल ही हैं, उनका उच्चीकरण नहीं किया गया। स्कूलों की बिल्डिगें टूटी हुई हैं। विद्यालयों का उच्चीकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। पंचायतों की बिल्डिगों में स्कूल चल रहे हैं। आपने अपने बजट में शिक्षा के स्तर के उच्चीकरण की बात करनी चाहिए थी वह इस बजट में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं तीन बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सभी विधायकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज प्रातः द्रोण होटल में शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र अपनी मांगों के समर्थन में प्रजातांत्रिक ढंग से नारे लगा रहे थे। जब हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो हम लोगों को भी वहां पर रुकना पड़ा। उसके बाद सूचना मिली कि उनको गिरफ्तार कर लिया है। शायद पहली बार इनके द्वारा ऐसा किया गया है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको बिना शर्त रिहा करने का निर्णय हमारी सरकार ले।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शिक्षकों को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। मैंने तो सदन में ही इसका संज्ञान लिया है। आज सुबह से सदन में कई माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से इस बात को उठाया कि वहां पर नारेबाजी हुई, मारपीट हुई। हो सकता है, इन्हीं परिस्थितियों की वजह से शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया हो।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सारे सदन का यह मत है कि उनको छोड़ दिया जाए।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, शासन की तरफ से यह निर्देश दे दिया जायेगा कि उनको छोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी यशवीर सिंह जी, आप बजट पर अपनी बात रखें।

चौधरी यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस बजट भाषण में पृष्ठ संख्या–6 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह माना है कि आजादी के 54 साल बाद भी उत्तरांचल के 6000 गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं। मान्यवर, पूर्व में उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक अंश था और उत्तर प्रदेश में 54 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा समय कांग्रेस की सरकार रही। सड़कों के बारे में पहले ही ध्यान दे दिया गया होता, तो शायद आज मुख्यमंत्री जी को बजट में यह बात न कहनी पड़ती।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण शिशु प्रतिरक्षण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सुरक्षित प्रसव, जन स्वास्थ्य संस्थाओं के उपयोग आदि में सुधार की बात कही गयी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसकी व्यवस्था कैसे होगी ? क्या सरकार यह बता सकती है कि उत्तरांचल में कितने डॉक्टरों की कमी है।

मान्यवर, ये कैसे पूरे करेंगे अपने वायदे ? चिकित्सा में डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण सरकारी अस्पतालों में व दूसरी जगहों पर मरीज दम तोड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि "शिक्षा समाज का दर्पण है"। इस सरकार ने इस बजट में 87 करोड़ 69 लाख का बजट रखा है, जो बजट का 1.5 प्रतिशत है। जी0टी0वी0 के दिशा निर्देश के अनुसार भी यह खरा नहीं उतरता। जी0टी0वी0 का कहना है कि बजट का 6 प्रतिशत कम से कम शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, तभी शिक्षा को राज्य में उन्नत किया जा सकता है। मान्यवर, सरकार छात्रों के भोजन पर तो 20 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है। जो भोजन बच्चों के लिए होता है, मान्यवर, वह सारा भोजन बाजार में बिक जाता है, बच्चों को नहीं मिल पाता। सरकार भोजन की व्यवस्था

जरूरी समझती है, उनकी शिक्षा की नहीं। मान्यवर, साक्षरता की दर 72 प्रतिशत बतायी गयी है, परन्तु यह नहीं बताया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में साक्षरता कितनी है। जब इस पर हम नजर डालते हैं तो यह केवल 34 प्रतिशत ही है। इस वर्ग के लोगों को भी 72 प्रतिशत तक ले जाने की कोई व्यवस्था बजट में नहीं है। जो पैसा भोजन पर खर्च होता है, यदि यही पैसा उत्तरांचल के आत्मनिर्भर होने पर लगाया गया होता तो अच्छा होता। उत्तरांचल की महिला अपने सिर पर चारा ढोकर लाती है। अगर उत्तरांचल की सरकार इसी पैसे से फैशन डिजाइनिंग के कोर्स चला देती तो महिलाओं के हित में होता। मान्यवर, मैं औद्योगिक विकास की बात कर रहा हूँ। पृष्ठ 25 पर कहा गया है जिसमें 83 करोड़ का प्रावधान है। यह बजट का 1.4 प्रतिशत है। जो कि बहुत कम है। मान्यवर, जिस राज्य में औद्योगिक विकास नहीं होगा वह राज्य कभी तरक्की नहीं करेगा, उस राज्य की बेरोजगारी भी दूर नहीं होगी। पूरी दुनिया में इसके प्रमाण हैं कि जहाँ पर औद्योगिक क्रान्ति आयी है, वहीं तरक्की हुई है। सरकार औद्योगिक क्रान्ति विकसित नहीं करना चाहती। मान्यवर, कृषि के बजट में कृषि नीति की बातें कहीं गयी हैं। किसान अन्नदाता है देश का। जिस प्रदेश का किसान साधन-सम्पन्न होगा, वही राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा। मान्यवर, ब्रिटेन, रूस, जापान, कोरिया आदि में पहले कृषि क्रान्ति आयी फिर औद्योगिक क्रान्ति आयी। जहाँ तक उत्तरांचल राज्य में संसाधनों की बात है, यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है अगर यह व्यवस्था हम बना लें तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, गन्ने के सम्बन्ध में वर्तमान में 10 चीनी मिलें कार्यरत हैं, लेकिन हमारे पास गन्ने का जो कमान्ड एरिया है वह बहुत ही कम है। इसके लिए 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि की और आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, अधूरी पैदाइश दुखदायी होती है। क्या सरकार इसका कमाण्ड एरिया अपने प्रदेश में लेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था के बारे में सरकार ने बहुत से दावे किये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ की पेयजल व्यवस्था को क्या सुधारेंगे, अभी एम0एल0ए0 के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, एक्वागार्ड की व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है, गिलास लाल दवा से नहीं धोये जा रहे हैं। मान्यवर, इस ओर भी विचार किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री के रूप में हमें ऐसा दूरदर्शी, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति माननीय तिवारी जी मिले हैं जो इस अवस्था में भी 20 घण्टे काम करते हैं। इतना कर्मठ कोई दूसरा मुख्यमंत्री शायद उत्तरांचल को नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी मान्यवर, यह बजट जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है, यह बजट संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 20, 25, 26, 244 का उल्लंघन करता है। अतः इस बजट का मैं दिल से विरोध करता हूँ।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बजट के सन्दर्भ में मुझे चर्चा करने का अवसर दिया। इस महान प्रदेश के पहले बजट अधिवेशन में भाग लेने का सौभाग्य हम सब को प्राप्त हो रहा है इसके लिए मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ। आज इतिहास ने करवट ली है। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों ने अपने ढंग से यहां पर शासन किया, विकास योजनाएं चलाई, बुनियादी ढांचा भी बनाया, लेकिन राज शाही का शासन टिहरी में होने से टिहरी गढ़वाल विकास से अछूता रहा। मान्यवर, उत्तरांचल देश का 27वां राज्य बना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नियोजक रहे जिन पर केन्द्र या राज्य में समय पर प्लानिंग व शासन की जिम्मेदारी थी उन्होंने भी टिहरी गढ़वाल और विशेष रूप से घनसाली भिलंगना क्षेत्र को ऐसी हालत के लिए बाध्य किया जिससे इस क्षेत्र में विकास और आर्थिक अस्थिरता पैदा की। मान्यवर, इस नये राज्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी और इसकी मांग इसलिए भी करनी पड़ी कि साधन विहीन, दूरवर्ती गाँवों का गंगी, गेंगली, पिश्वाड, मेंड, कोट–बनोली, रगडी, पट्टुडगाँव, धार गाँव, घनसाली, कांगड़ा, ईन्ध्रवाण गाँव, सौड, कैलवागी, पाख, टोणी, थार्ती, बणचुरी–कोटी आदि में रहने वाले गाँव वालों का किस प्रकार से अधिक विकास हो सके और भूकम्प–बाढ़ से पीड़ित लोगों का पुनर्वास कैसे हो सके, बजट में विशेष रूप से ऐसे लोगों के विकास के लिए विशेष प्राविधान किये जाने चाहिए। यह उत्तरांचल का बजट है इसमें अपनी भौगोलिक स्थिति तथा विषम प्रकृति के कारण बहुत अधिक गरीबी है। यहाँ का क्षेत्रफल 55845 वर्ग कि0मी0 है। लेकिन इसमें से केवल 14 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। वह भी पथरीली होने के कारण, सिंचाई के साधन न होने से यहाँ उपज कम होती है। बड़ी मेहनत से यहाँ किसानों ने सीढ़ीनुमा खेत बनाये हैं। श्रीमन्, राज्य बन जाने के बाद भी यहाँ तराई क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र का अलग–अलग नियोजन की कार्ययोजना भौगोलिक आधार पर करना होगा, हर क्षेत्र की प्राकृतिक शक्ति है और प्राकृतिक कठिनाइयाँ भी पूरे उत्तरांचल में भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से समरूप नहीं हैं।

मान्यवर, आज पूरी दुनिया इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर है और इण्टरनेट और विकास की होड़ मची हुई है लेकिन उत्तरांचल में सड़क के बिना जीवन नरकीय है। यहाँ मेरे क्षेत्र में गंगी, गेवाली, पिरवाड़, मेड–मखाड़ी, कोट बनोली, पटुड गाँव–टगरी, खोवा, द्वारी–बौसुका–बणचुरी, चौरा–चामी, गोरिया, दारमा घाटी, अलकनन्दा पिंडर घाटी, ब्यास, चौंदास और दारमा घाटी बाव गंगा में जो आलू पैदा होता है वह अगर नीचे नहीं लाया जा सकता है तो वह कमाई के लिए वह नहीं उगाया जा सकेगा। जो हम उत्तरांचल हिमालय बसा है मान्यवर, उनकी और भी दुर्गति अलग राज्य बनने के बाद हो रही है ऐसा नहीं कि यहाँ केवल पत्थर होता है बल्कि हमारे पर्वत सोने से लदे हुए हैं, हमारे यहाँ चीड़–देवदार के जंगल हैं, रौल–थुनेर के हैं, अतीस कड़वी जैसी बेशकीमती जड़ी–बूटियाँ हैं जो किसी भी बीमारी की अचूक दवा है। हमारी धरती के अन्दर बहुमूल्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं लेकिन बदकिस्मती है कि उनका दोहन और शोषण पूँजीपतियों ने किया है और विकास हिमालय कभी नहीं हुआ है बल्कि देश के पूँजीपतियों ने इन पर्वतों को लूटा है। उत्तरांचल में विभिन्न प्रजातियों के जंगल हैं लेकिन कारखाने सहारनपुर और बरेली में हैं। माचिस का कारखाना यहाँ नहीं सीतापुर में है। माइन्स एक्ट

लागू कर आज उत्तरांचल की स्लेट की खानें बन्द पड़ी हैं, स्लेट उद्योग में कार्यरत मजदूर बेरोजगार हैं, भूखे मर रहे हैं, सरकार की गलत नीति के कारण ढालवाला में एक उद्योग छोड़कर सभी उद्योग बन्द पड़े हैं और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि हजारों डाक्टर बेरोजगार हैं और सुदूर गाँवों में प्राथमिक चिकित्सा के अभाव में हजारों बच्चे और महिलाएं दम तोड़ रही हैं, हजारों गाँवों में पीने का पानी नहीं है, हजारों गाँवों में सड़कें नहीं हैं और हजारों इंजीनियर, तकनीशियन रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। उत्तरांचल की आधे से अधिक आबादी अशिक्षित है और हजारों प्रशिक्षित अध्यापक, शिक्षक–बन्धु, शिक्षक मित्र खाली बैठे हैं। श्रीमन्, पुराण कथाओं में यह प्रसंग आता है कि किसी मायावी पुरुष के पास एक ऐसा ब्रहमास्त्र होता है जो ऐन निश्चित निशाने पर जाकर शत्रु को धराशायी कर देता है लेकिन उस शस्त्र के साथ एक शर्त भी नत्थी होती है कि यदि वह अपने लक्ष्य को भेदने में नाकाम रहा तो वापस लौटकर अस्त्रधारी को ही धराशायी कर देता है।

कांग्रेस के परमपूज्य माननीय नेता सदन पं0 नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तरांचल में भेजकर ऐसा ही ब्रहमास्त्र चलाया था जिससे शत्रुओं के शिविर में हड़कम्प मच गया लेकिन उस ब्रहमास्त्र की दिशा ऐसी पलट रही है कि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्या मैदानी संवर्ग के विकल्पधारी शिक्षकों को कार्यमुक्त न करके, शिक्षा बन्धु, शिक्षा–मित्र और प्रशिक्षित बेरोजगार नौजवानों को समायोजित व नियुक्तियाँ न देकर क्या वह ऐसा ही अस्त्र साबित होगा, क्या वह उन्हें ही धराशायी कर देगा, किन्तु हमें विश्वास है कि माननीय नेता सदन अपनी पैनी दृष्टि से समाधान का रास्ता ढूँढ निकालने का काम करेंगे और मान्यवर, प्राप्त उत्तरांचल के अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का काम करेंगे।

श्रीमन्, गाँवों का स्कूल भवन टूटा हुआ है कहीं अस्पताल नहीं है, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए जनता रो रही है, लेकिन हर जगह शराब की सरकारी भट्टी है, शराब की सरकारी दुकान है, बेरोजगार परेशान हैं, युवा पीढ़ी इस शराब की नदी में नहाकर अपने गम भुलाने की दयनीय कोशिश कर रही है लेकिन मर्ज तो बढ़ता जा रहा है। यह जहरीली दवाई हमारे सारे समाज को एक धीमी, मौत के रास्ते पर धीरे–धीरे मार रही है जनता को शराब की नहीं बल्कि पीने के पानी की जरूरत है। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में पारव जू0 हा0 स्कूल का भवन टूटा है और न जाने कितने स्कूल के भवन टूटे हुए हैं।

मान्यवर, जो अभी तक सीजनल क्राप्स हैं उनके उत्पादन से पहाड़ का विकास नहीं होने वाला है। चूँकि भौगोलिक कारणों से इनकी पहाड़ों पर पैदावार अच्छी नहीं हो सकती है। इसके लिए यह जरूरी है कि क्राप्स पैटर्न नियोजित तरीके से बदला जाए। आज पहाड़ में यातायात, सिंचाई, पेयजल, माइक्रो हैडिल, जड़ी–बूटी और पर्यटन उद्योग के सुनियोजित विकास को प्राथमिकता देने की कार्य योजना बनानी होगी।

मान्यवर, आज उत्तरांचल में 2000 से भी अधिक नहरें हैं जिनमें से केवल 1000 नहरों से सिंचाई हो रही है शेष सभी नहरें मरम्मत न होने के कारण कितने ही सालों से ठप्प पड़ी हैं। मेरे क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से नहरों की मरम्मत का काम नहीं हो पाया। धनाभाव के कारण मरम्मत के कार्य ठप्प पड़े हैं। वासर नहर को पिछले 30 वर्षों से पूरा

नहीं किया गया, कोंती नहर का कार्य भी पिछले 30 वर्षों से लटका पड़ा है, चंगोरा ढ पोडार नहर का निर्माण कार्य अधूरा है। तकनीकी अधिकारियों की उदासीनता तथा शासन की गलत नीति के कारण कोठियाड़ा नहर अपने लक्ष्य को भेजने में पूर्णतया असफल रही है।

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में बाढ़ न आये, नदियाँ टेढ़ी–मेढ़ी न बहें, उनकी गति एक ढंग से बनी रहे और हमको प्राकृतिक संपदा मिलती रहे तो इसके लिये सुनियोजित नियोजन की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि बाढ़ गंगा, धर्म गंगा, भिलंगना और नैवधामी नदी में बाढ़ आने से काश्तकारों की हजारों नाली जमीन जलमग्न हो गई, धर्म गंगा में बाढ़ आने से लोक निर्माण विभाग के दो गार्डर ब्रिज बह गये, किन्तु आज तक सरकार और शासन ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। मेरी माँग है कि बजट में ऐसी कार्य योजना बनाई जाये ताकि नदियाँ अपने ठीक प्रवाह से अपने रास्ते तय कर सकें।

मान्यवर, बाढ़ की भयावह स्थिति से ही पड़ोसी देश चीन में ह्वांगहो नदी है लेकिन उस देश के योजनाकारों ने राजनेताओं ने ह्वांगहो नदी के दोनों किनारों को बाँधकर 7 हजार कि0मी0 की गाइडवाल देखकर ह्वांगहो नदी की बाढ़ को हमेशा–हमेशा के लिये नियन्त्रित किया। क्या हम उत्तरांचल की नदियों की बाढ़ को नियन्त्रित करने की कार्य योजना नहीं बना सकते, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इस संदर्भ में बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिये और खाली हाथों को काम देने के लिये ठोस कार्य योजना बने।

मान्यवर, घनसाली विधान सभा क्षेत्र की महान जनता की कृपा और सद्भावना तथा निरंतर विश्वास के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ।

टिहरी जनपद का घनसाली विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कई हिमशिखरों की छटा है और जड़ी–बूटी वाली बुग्यालों का सौंदर्य भी है, कई ग्लेशियर और चीव जैसे महासर ताल, महारानी का ताल, चंदिप ताल, मजियाड़ ताल, मासू ताल, नचिकेता ताल, खतकिंग ग्लेशियर, बाव गंगा और नैवनवामी घाटी जैसी सुन्दर घाटियाँ हैं तथा पंवाली काठा, कुशकल्याण, क्यारखी बुग्याल, देवा बुग्याल जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, बूढ़ा केदारनाथ, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, रानीगढ़, बिशोन पर्वत, माणिकनाढ़, तगदीशीका और बेलेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, लेकिन अभी तक इनको देखने वाला कोई नहीं है। मेरा सुझाव है कि उक्त स्थलों को चिन्हित कर पर्यटन विकास की कार्य योजना बनाई जाय।

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम के कारण उत्तरांचल की विकास योजनाएं, मोटर मार्ग, सिंचाई, पेयजल और पर्यटन विकास की निर्माणाधीन योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। विकास योजनाओं के निर्माण की गति का पहिया तेजी के साथ आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे धकेलने की वन विभाग की कार्यवाही चल रही है। आज चारागाहों पर जंगल उगाये जा रहे हैं। जिससे चारागाह समाप्त हो रहे हैं, इससे यहाँ की जनता में व्यापक असंतोष बढ़ रहा है।

उत्तरांचल में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध कई आन्दोलन हुए हैं। हजारों लोग जेल भी गये हैं और आज भी इस सदन

में कितने ही सदस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर इस संदर्भ में अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं। मेरे ऊपर और पूर्व वन मंत्री श्री मातबर सिंह कण्डारी व श्री काशी सिंह ऐरी और कई अन्य साथी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, के ऊपर इसी संदर्भ में मुकदमें विचाराधीन हैं।

मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह वन संरक्षण कानून हमारे लिए मकड़ी का जाला हो गया है, जिसमें मोटर मार्ग निर्माण, सिंचाई तथा अन्य विकास योजनाएं व साधनविहीन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग छोटे-मोटे, कीड़े-मकोड़े की तरह इस जाल में फँसे जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, माफिया हैं, वह आपके जाल को तोड़ कर भागे जा रहे हैं। मान्यवर, विकास योजनाओं को वन संरक्षण कानून से मुक्ति मिले यही जनता की प्रबल आकांक्षा है। टिहरी बाँध बनने से टिहरी और कई विकास खण्डों की मेरे विकास खण्ड के गाँवों की उर्वरा भूमि जलमग्न होने जा रही है। हम लोगों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे त्याग और बलिदान से 12 सौ मेगावाट बिजली होने से पूरे देश और प्रदेश का कल्याण होगा, किन्तु उनके पुनर्वास की कोई समुचित नीति नहीं बनाई गयी, कितने ही लोग कई सालों से पुनर्वास कार्यालय के चक्कर लगाते-लगाते थक गये। गरीब कालू खां जैसे सैकड़ों विस्थापित पिछले पाँच सालों से पुनर्वास कार्यालय की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया। मान्यवर, टिहरी बाँध बनने से टिहरी का पूरा भूगोल ही गड़बड़ा गया, मेरा घनसाली विधान सभा क्षेत्र पूरे जनपद से कट कर अलग-थलग पड़ गया। पौखाल में प्रस्तावित महाविद्यालय को आज तक नहीं खोला गया, इसलिए क्षेत्र में व्यापक असंतोष है। भूकम्प से पीड़ित लोगों को आज तक राहत नहीं दी गई। मेरा कहना है कि ऐसी कार्य योजना बने कि भूकम्प से घायल धरती पर मरहम पट्टी ऐसी लगाई जाय कि भविष्य में वह भूकम्प के आघातों को सहन करने में सक्षम हो सके। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग घनसाली में 12 जे0ई0 के पद स्वीकृत हैं, इसमें केवल 3 जे0ई0 कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कैसे आगे बढ़ सकता है। माननीय नारायण पाल जी ने यहाँ पर चर्चा की है और चर्चा में कहा है कि प्रदेश सरकार हर योजनाओं में केन्द्र का मोहताज न बने, यह उचित है। मान्यवर, मेरा कहना है केन्द्र जो यहाँ पर हमारी योजनाओं को चालू करने के लिए पैसा दे रहा है, वह कोई खैरात में नहीं बाँट रहा है। पूरे उत्तरांचल में 67 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। हम पर्यावरण जैविक क्षमता का यहाँ पर संरक्षण कर रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ 1992 के जिनेवा सम्मेलन में भारत ने कहा था अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है तो विकसित देशों को हमें मुआवजा देना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल के लोग केन्द्र से भी यही बात कहें। मान्यवर, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री तिवारी जी एवं यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण एवं नेतागण।

मान्यवर, श्री तिवारी जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया है उस पर सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियाँ की गई हैं। मेरे देखने से तो इसमें सभी बिन्दुओं को छुआ है, कहीं पर कोई बात छूटी नहीं है। जो भी बातें हमारी जरूरत की हैं और उत्तरांचल राज्य के लिए जरूरी हैं उन सब चीजों को इस बजट में रखा है।

रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर कई विभागों को खोले जाने की बात बजट में आई है जैसे सैनिक कल्याण, अस्पताल इत्यादि विभाग खुलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जितने भी विभाग खुलेंगे तो उनमें कुछ न कुछ बेरोजगार तो लगेंगे। मेरे देखने से बजट में बहुत से प्राविधान किये गये हैं। अभी तो नया राज्य बना है, जब भारत आजाद हुआ था तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने भी यही स्थिति थी जो आज हमारे सामने है। हमारे राकापा के भाई ने उद्योग नीति की बात कही, अच्छी लगी। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी बात पर जोर दिया और धीरे–धीरे देश में खुशहाली आयी। इसमें सब को मेहनत करनी होगी चाहे वह विरोधी पक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, विचार अलग हैं लक्ष्य सब का एक है। सब लोगों को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उत्तरांचल का विकास हो। अभी माननीय सदस्य ने बँटवारे के सम्बन्ध में कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि जब चार भाई अलग होते हैं तो बँटवारा कई सालों तक चलता है। ऐसी कोई बात नहीं है, केन्द्र सबसे बड़ी अदालत है।

मान्यवर, केन्द्र से हमें आगे भी सहायता मिलती रहेगी चाहे हम आर्थिक रूप से मजबूत भी हो जाए केन्द्र हमको देता रहेगा। जंगलों के बारे में कहा गया तो माननीय अध्यक्ष जी जंगल हमारी सम्पदा हैं, लोग पूछते हैं कि आपका धन कहाँ है तो मैं लोगों को जवाब देता हूँ कि हमारा धन जंगलों में छुपा हुआ है। अनेक लोग रिपोर्ट करते हैं कि जंगलों का दोहन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। यहाँ पानी की बहुत कमी है। पानी से बिजली बने, छोटे–छोटे जो गधेरे हैं, उनसे पनबिजली बनाई जाएगी तथा घराट का जिक्र भी बजट में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट भाषण पढ़ रहे थे तो मैं बड़े ध्यानपूर्वक बजट को सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे राज्य में जो मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हैं वह बहुत ही योग्य तथा अनुभवी हैं और यह राज्य के ऊपर मैं समझता हूँ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने बजट बनाने में अपना सम्पूर्ण अनुभव और विवेक का इस्तेमाल किया।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे राज्य को ठीक तरह से ढर्रे पर ले आयेंगे। क्योंकि तिवारी जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। 18–18 घण्टे तक काम करते हैं। उनका सहयोग इस राज्य को मिलता रहेगा। मान्यवर, इसी के साथ जो बजट पेश किया गया उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इसी परिपेक्ष्य में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ खासकर माननीय अध्यक्ष जी का जिन्होंने मुझे मौका दिया बजट भाषण पर बोलने का।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। आदरणीय तिवारी जी जब बजट पेश कर रहे थे तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि वास्तव में विकास पुरुष, जिन्होंने भारत वर्ष का बजट भी पेश किया है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 8 बार बजट पेश किया है, वे इस राज्य का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जैसे–जैसे बजट आगे बढ़ रहा था, वैसे–वैसे प्रसन्नता कम होती जा रही थी। आदरणीय तिवारी जी जब उत्तरांचल राज्य में मुख्यमंत्री बन कर आए तो ऐसा लगा कि कांग्रेस का जो घोषणा–पत्र है, वह इन्होंने तैयार नहीं किया, इसलिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण और मैनीफैस्टो में असमानता हो सकती है।

परन्तु आज 3 माह बाद जो बजट पेश हुआ है, उसमें और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी बहुत असमानता है। सरकार का मैनीफैस्टो कुछ कह रहा है, महामहिम का अभिभाषण कुछ कह रहा है और बजट भाषण कुछ और ही कह रहा है। तीनों ही में बहुत असमानता है लेकिन फिर भी एक समानता तीनों में नजर आ रही है कि तीनों से आदरणीय तिवारी जी का कुछ लेना-देना नहीं है। जब कांग्रेस का मैनीफैस्टो तैयार हो रहा था, तब आदरणीय तिवारी जी उत्तरांचल में नहीं थे, महामहिम के अभिभाषण के समय तिवारी जी नये-नये यहाँ पर आए थे, हो सकता है, उनके पास समय न रहा हो और बजट के बारे में भी यह आभास हो रहा है कि यह कहीं से आयात किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक मत से यह विचार व्यक्त किया था कि हम सरकार को फ्री हैण्ड छोड़ना चाहते हैं। यदि सरकार उत्तरांचल के विकास के लिए कोई योजना बनाती है, युवाओं के कल्याण के लिए कोई योजना बनाती है, उद्योगों के बारे में कोई योजना बनाती है तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आएगा। परन्तु 3 माह बाद भी ऐसी कोई योजना इस बजट में नजर नहीं आती है, जो उत्तरांचल राज्य को विकास की ओर बढ़ाए। मान्यवर, पहला ही बिन्दु, जो अभिभाषण में कहा गया था, जिनकी शहादत से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ है, उन शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाए जाएंगे। किन्तु बजट में इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है कि ये स्मारक कहाँ पर बनाए जाएंगे, इनके लिए कितना बजट रखा गया है, ऐसी कोई जानकारी इस बजट से नहीं मिलती। मान्यवर, युवाओं के बारे में कहना चाहता हूँ। युवा किसी भी देश और किसी भी प्रदेश की रीढ़ होते हैं। युवाओं को अच्छी दिशा मिलेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश का कल्याण होगा। उत्तरांचल राज्य जब पूर्व में उत्तर प्रदेश का अंग था, तो लखनऊ में बैठकर जो योजनाएं बनती थी, उनको बनाने वाले जो अधिकारी होते थे, उनको उत्तरांचल की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता था और उन योजनाओं में जो धन दिया जाता था, वह सही नहीं होता था। जिस योजना में कम धन चाहिए होता था, उसमें अधिक धन दे देते थे और जिस योजना में अधिक धन चाहिए होता था, उसमें कम धन दिया जाता था। इस कारण उत्तरांचल में जो विकास होना चाहिए था, उससे वह अछूता ही रहता था। उत्तरांचल राज्य के गठन के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ तो वह था, उत्तरांचल का युवा वर्ग। उसको लग रहा था कि उत्तरांचल राज्य बनने के बाद यहाँ पर रोजगार मिलेगा, उद्योग लगाए जाएंगे, एक नई दिशा प्रदेश को मिलेगी लेकिन इस बजट में इस सम्बन्ध में कोई नीति तैयार नहीं हुई है। महामहिम के अभिभाषण में कहा गया था कि हम स्पोर्ट्स कालेज खोलेंगे।

मान्यवर, यहाँ जो मेरे साथ एक घटना घटी, वह तो अच्छा हुआ कि जिस दिन बजट पेश हुआ मेरी पत्नी मायके गयी थी। मान्यवर, जिस दिन बजट पेश हुआ तो मेरा बेटा कह रहा था कि चन्डीगढ़ स्पोर्ट्स कालेज में एडमीशन करा दीजिए। मैंने उससे कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ आदरणीय तिवारी जी का बजट आने वाला है।

उन्होंने कहा है कि उत्तरांचल में 2–3 स्पोर्ट्स कालेज खुलने वाले हैं। लेकिन पूरे बजट में कहीं कोई चर्चा नही है कि हम स्पोर्ट्स कालेज खोलने जा रहे हैं और चण्डीगढ़ में भी प्रवेश बन्द हो गए हैं।

(व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह सच्चाई है कि चण्डीगढ़ में प्रवेश अब बन्द हो गये हैं। मैंने तो सोचा था कहीं न कहीं आदरणीय तिवारी जी से कहकर एडमीशन करा लिया जायेगा।

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुख्यमंत्री जी को चिन्ता हो गयी कि कहीं पत्नी वहीं न रह जाये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह अभिभाषण में कहा गया था कि यहाँ प्रतिभावान, क्षमतावान खिलाड़ियों को एक माहौल दिया जायेगा, लेकिन स्टेडियम और व्यायामशाला के लिए जो स्थान है उसमें 2 कमरे भी नहीं बनेंगे। मात्र 4.73 लाख में हम कितने स्टेडियम और कितने व्यायामशाला खोलेंगे।

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, लखनऊ और देहरादून में एक साथ ही स्पोर्ट्स कालेज खुले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही खोले।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रशिक्षण शिविरों के संचालन हेतु 13 लाख रुपये हैं। मान्यवर, 13 जिले हैं, एक–एक लाख रुपये एक–एक जिले के लिए। क्या प्रशिक्षण देंगे हम अपने युवाओं को, खिलाड़ियों को ? एक लाख रुपये में तो उसके ऑफिस के लिए फाइल तथा फर्नीचर ही आ जायेगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के बारे में बजट में कहीं ठोस नीति नहीं बनायी गयी है कि हम कितने प्राइमरी विद्यालय खोलने जा रहे हैं, कितने नए भवन बना रहे हैं, कितने पुराने भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, इसका जिक्र बजट में कहीं नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय का अभिभाषण में उल्लेख किया गया था, किन्तु बजट में इसकी भी चर्चा नहीं है। बजट में एक बहुत ही अच्छी बात कही गयी कि हमारे प्रदेश में 15 राजकीय तथा 1 प्राइवेट पॉलीटैक्निक है।

मान्यवर, पूरे बजट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि हम उत्तरांचल में कितने नये डिग्री कालेज खोलने जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार की भी कुछ योजनाएं चल रही थी,

क्या पूर्ववर्ती सरकार की सभी योजनाओं को यह सरकार बन्द कर देगी। रोजगार के बारे में बजट में उल्लेख नहीं किया गया है जबकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन 3 महीने हो गये और इस दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी कृपया संक्षेप करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बस दो तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मान्यवर, युवाओं को तीन चीजों की आवश्यकता होती हैं शिक्षा, रोजगार और खेलकूद। किसी एक का भी बजट में उल्लेख नहीं किया गया है। युवाओं के लिए यह बजट निराशाजनक है। मान्यवर, पत्रकारों को आकर्षित करने के लिए, उनके कल्याण के लिए कोष बनाने की बात कही गई हैं। मान्यवर, प्रेस क्लब के लिए 15 लाख रुपये का प्रविधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया संक्षेप करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस धनराशि से कितने जिलों में कितने प्रेस क्लब खुल पाएंगी। बजट में कहीं भी ऊर्जा, सड़क, सेतु, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, औद्योगिक विकास, पर्यटन, आवास, सहकारिता, पंचायती राज, समाज कल्याण, महिला कल्याण, ग्राम विकास, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, श्रम, रोजगार आदि की जो योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, यदि यह कहा जाय कि यह केन्द्र सरकार की योजनाओं का बजट, प्रदेश सरकार का नहीं। अभी परिवहन नीति नहीं बनाई गई है। परिवहन मंत्री जी बड़े चिंतित थे। मान्यवर, बजट में केन्द्र की नीतियों का उल्लेख किया गया है। युवाओं की उपेक्षा की गई है, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। मान्यवर, मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण से उम्मीद थी कि माननीय तिवारी जी जैसे योग्य, अनुभवी व कर्मठ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस नये राज्य का विकास परिस्थितियों के अनुकूल होगा और यहां की आम जनता को महसूस होगा कि यहाँ की सरकार उत्तराखण्ड की जनता के लिए कुछ करने जा रही है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी मैंने इस बात को कहा था कि यह सरकार की अग्नि परीक्षा का समय है। उत्तराखण्ड राज्य के लिए बाईस साल से जिन्होंने संघर्ष किया जिसके परिणामस्वरूप 41 लोगों की शहादतें हुई हैं यदि उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य का विकास नहीं होगा तो उत्तराखण्ड में एक नये जन–अन्दोलन को

जन्म लेना पड़ेगा। इस बजट से एक निराशा हुई है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात को कहा गया था कि यह सरकार दो साल में दो लाख लोगों को रोजगार देगी और इस वित्तीय वर्ष में एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है परन्तु मुख्यमंत्री जी के इस बजट भाषण में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि इस वित्तीय वर्ष में एक लाख लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं और विकल्पधारियों को आप भेजना नहीं चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर तथा सहकारिता के क्षेत्र मे रोजगार–परक योजनाएं आप बना सकते थे। मैंने शुरू में कहा था कि इस राज्य के कर्णधारों की परीक्षा सीमांत जनपदों के विकास से होगी आज 55 वर्ष बीत गए हैं और हम 21वीं सदी में चल गये हैं परन्तु ये लोग आज भी 13वीं सदी का जीवन जी रहे हैं यदि इसको मिटाया नही गया तो निश्चित रूप से उत्तराखण्ड के लोग आने वाले समय में इसका इंतजार नहीं करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण मे इस बात का भी कहीं उल्लेख नहीं है कि ऐसे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा।

मान्यवर, पेयजल की बात कही गयी है 3108 बस्तियाँ हैं इनमें से 107 असेवित क्षेत्र और 908 असेवित बस्तियाँ हैं। अल्मोड़ा जनपद में पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है कई विकास खण्डों में टैंकर से पानी ले जाना पड़ता है। मान्यवर, तीन प्रकार की योजनाएं बनी पहले ग्राम सभा के नाम पर, दूसरा राजस्व ग्राम के नाम पर और फिर तीसरा लोक के नाम पर। परन्तु ये सारी योजनाएं अस्त–व्यस्त पड़ी हुई हैं जब तक पेयजल योजना का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। पिछले 55 साल में पेयजल, सड़क, विद्यालय आदि योजनाओं पर पैसे का दुरूपयोग किया गया उनका जो लाभ मिलना चाहिए था वह जनता को नहीं मिल पाया हम उम्मीद करते थे कि उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दीर्घकालिक योजनाएं बनेंगी परन्तु इस बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखायी देता। पिण्डर से पेयजल की एक बहुत बड़ी योजना की मांग लम्बे समय से चली आ रही है जो कि आठ हजार की ऊँचाई पर स्थित है। पिण्डर के पानी को टैप करके थराली, ग्वालदम और अल्मोड़ा जनपद की लगभग साढ़े छः लाख आबादी लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है। मान्यवर, यही नहीं आगे जाकर इससे पनबिजली का निर्माण भी हो सकता था और सिंचाई भी हो सकती थी, पर्यटन क्षेत्रों का विकास भी हो सकता था परन्तु मैं देख रहा हूँ कि पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। 131 करोड़ रुपया आपने पेयजल योजना के लिए रखा है। इस 131 करोड़ के बजट में 19 प्रतिशत सेण्टेज चार्जेज आज भी उत्तर प्रदेश के खाते में जा रहा है। आज भी उत्तरांचल जल निगम, निर्माण निगम, सेतु निगम तथा परिवहन निगम का गठन नहीं हुआ है हम इनका गठन जब तक नहीं कर लेंगे तब तक 19 प्रतिशत सेण्टेज चार्जेज उत्तर प्रदेश को जाता रहेगा। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गुप्तकाशी ऊखीमठ में पांच सितारा होटल और साधु संतों के निवास के नाम पर आठ मंजिली इमारतें बन रही हैं। यदि हम थाइलैण्ड के समान यहाँ पर विकास करना चाहेंगे तो यह सम्भव नहीं हो पायेगा। मान्यवर, हमें आध्यात्मिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और नैसर्गिक पर्यटन का विकास करना होगा ताकि विदेश से लोग यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने आ सके परन्तु आज हम यह देख रहे हैं, हम 371 को लागू करने की बात खाली नही कहते परन्तु यह आवश्यक है कि जो यहाँ के रहने वाले मूल बाशिन्दे हैं जिन्हें अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रची जा रही है सारी जमीन पर बड़े–बड़े भू–माफिया कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ का विकास कैसे हो पायेगा, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, जब हर जगह पंच सितारा होटल बन जायेगा तो हमारे बेरोजगार कहाँ जायेंगे। वे होटलों में काम करेंगे। मान्यवर, धारा 371 लगाकर जमीनों की खरीद पर रोक लगाई जाये। जो जमीनें बिक रही हैं उनको सरकार बाजार भाव में खरीदकर वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दें और टूरिज्म डिप्लोमा धारक को रोजगार दें। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था बजट भाषण में नहीं हैं फिर वहीं होगा कि बाहर से लोग आयेंगे और जमीनों को खरीदकर पंच सितारा होटल बनायेंगे। पर्यटन से उत्तरांचल राज्य को बहुत लाभ मिलेगा। जब यह नया राज्य बना है तब हमें उम्मीद है कि यह सरकार पर्यटन के क्षेत्र में कुछ करेगी, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, सेब उद्यानों का जीर्ण उद्वार किया जाना चाहिए। आज पूरे उत्तरांचल में 140 रु0 का सेब आ रहा है, जिस पर आस्ट्रेलिया, थाइलैण्ड का चिट लगा होता है, तो उसको खरीदना पड़ा महँगा पड़ता है। आज यहाँ पर सेब उद्यान पूरी तरह चौपट हो गई है, जो बचे भी थे वह भी ओलावृष्टि के कारण खत्म हो गये। जब तक इस पर युद्ध स्तर पर कार्य नहीं होगा तब तक आप उद्यानों का विकास नहीं कर सकते हैं। उत्तराखण्ड में मेहल के पेड़ों पर क्रोमिंग करने से प्रतिवर्ष नाशपति के क्षेत्र में क्रान्ति लायी जा सकती है तथा 10 से 50 करोड़ की आय बढ़ायी जा सकती थी इसका कहीं उल्लेख नहीं हैं।

मान्यवर, जड़ी–बूटी के विकास के लिए कोई अच्छी कार्य योजना होनी चाहिए। उत्तरांचल में जड़ी–बूटी का उत्पादन बहुत होता है। मान्यवर, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 356.83 करोड़ रु0 का भुगतान किया जा चुका है।

मान्यवर, गन्ना उत्पादकों को 356.83 करोड़ रुपये के भुगतान की बात कही गई है, परन्तु चीनी उत्पादन के बाद कुल बिक्री व लाभ का कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, इसका उल्लेख बजट में नहीं है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा विद्वान हैं आपके आशीर्वाद से बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। मान्यवर, शिक्षा किसी भी राष्ट्र–राज्य के विकास की बुनियादी रीढ़ होती है, उसके विकास हेतु (9.50 करोड़) बहुत कम धनराशि रखी गई है उत्तराखण्ड में प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट कालेजों तक कालेज भवनों का नितान्त अभाव है। मान्यवर, प्राइमरी व जू0 हाई स्कूल में बैठने की चटाइयाँ तक नहीं हैं, इनके पास अपने भवन नहीं हैं। मान्यवर, शिक्षा मद में कम से कम 100 करोड़ रुपये की धनराशि रखी जानी चाहिए थी। मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और भी स्थिति खराब है अधिकांश महाविद्यालय खोले तो गये हैं, परन्तु उनके लिए भवनों की व्यवस्था नहीं है। फलतः युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के प्रति मा0 मुख्यमंत्री जी सर्वाधिक जोर देते रहे हैं। उत्तराखण्ड के 15 पॉलिटेक्निकों के विकास नये ट्रेड व नये पॉलिटेक्निक खोले जाने का न तो कोई उल्लेख है और न ही इस हेतु अलग से धनराशि रखी गयी है। औद्योगिक विकास के मामले में भी इस बजट भाषण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। औद्योगिकीकरण के नाम पर उत्तराखण्ड में लगे बड़े व मध्यम दर्जे के अधिकांश उद्योग सब्सिडी खाकर या तो चले गये या बीमार घोषित हो गये। उत्तराखण्ड का 2/3 पर्वतीय भू–भाग उद्योग विहीन है, हमें आशा थी कि यह सरकार इन क्षेत्रों में कुटीर व लघु उद्योगों का जाल बिछायेगी तथा लाखों बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ेगी परन्तु इस बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, औद्योगिक विकास

व खनन हेतु रखे गये 83 करोड़ रुपयों का कुछ भी लाभ उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों को नहीं मिलेगा। यह धनराशि बीमार उद्योगों व ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के नाम खर्च कर दी जायेगी।

मान्यवर, वनों के विकास चारा पत्ती या चौड़ी पत्ती के जंगल लगाने हेतु कोई कार्य योजना नहीं है। उत्तराखण्ड की 3/4 से अधिक जनता आज भी हक हकूकों से वंचित है, उनके घास, पानी, लकड़ी के अधिकार तक छीन लिये गये हैं। संयुक्त वन प्रबन्धन योजना उत्तराखण्ड में पूरी तरह विफल हो चुकी है, यह योजना कागजों में तो अच्छी है, परन्तु इसके माध्यम से विश्व बैंक के पैसे का भारी दुरूपयोग हो रहा है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि चौड़ी पत्ती व बांझ के वृक्ष लगाये जायं मान्यवर, पिछली बार जो चीड़ के जंगलों में आग लगी थी, वह फिर से लग सकती है, इसके रोकने के लिए भी बजट में कोई योजना नहीं है। मान्यवर, राजधानी निर्माण का इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में राज्य की राजधानी घोषित करने की बात कही थी, परन्तु आज तक स्थाई राजधानी कहां बनेगी इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही राजधानी निर्माण हेतु कहीं बजट का उल्लेख किया गया है। राजधानी निर्माण के सम्बन्ध में पूरी जनता में असंतोष है। मैं कहना चाहता हूँ राजधानी के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मान्यवर, अंत में मैं इस शैर के साथ अपना बजट भाषण समाप्त करता हूँ :–

जोतकर खेत जिसने उगाई फसल,
उनके हाथों में छाले पड़े देखिए।
जो चुराते रहे दूसरों की फसल,
उनके हाथों में प्याले भरे देखिए।
कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला,
फूल सूखे है काँटे हरे देखिए।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2002–2003 के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय नेता सदन श्री नारायण दत्त तिवारी जी जिनका अनुभव भारत सरकार के बजट पेश करने में है व उत्तर प्रदेश का बजट पेश करने का है। यह हमारा सौभाग्य है कि इतने विशाल अनुभव रखने वाले हमारे मा0 तिवारी जी ने नवसृजित उत्तरांचल राज्य का पहला बजट प्रस्तुत किया। इस उत्तरांचल राज्य के समग्र विकास के लिए बजट में जो प्राविधान किया गया है। तराई क्षेत्र में जहाँ गन्ने के मूल्य का भुगतान अगस्त, सितम्बर तक नहीं हो पाता था, वहीं पर 10 चीनी मिलों में गन्ने मूल्य का भुगतान गत वर्ष की अपेक्षा सही समय पर हुआ है शेष के लिए सरकार पूरा प्रयत्नशील है। गन्ना कमान के बारे में पहले से नेता सदन चिन्तित हैं, इस क्षेत्र में गन्ने की अच्छी प्रजातियां विकसित हों इसके लिए भी नेता सदन चिन्तित हैं। काशीपुर गन्ना शोध संस्थान जो गन्ने में अच्छी रिकवरी वाली प्रजातियों को बढ़ाने में कार्यरत हैं, में हमारी सरकार प्रयत्नशील है। हमारे उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्र में 80 प्रतिशत किसान हैं, उन किसानों का समग्र विकास और आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने और खेती को

बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है। आने वाला समय उत्तरांचल की जनता के लिए सुखद है। यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में अपार सम्भावनायें हैं, उसका उल्लेख इस बजट में किया गया है। स्वरोजगार के क्षेत्र में उद्यान और पर्यटन अनेक योजनायें हैं, इसमें छोटे-छोटे कोटेजेज बनाने की व्यवस्था इस बजट में दी गई है इसके अतिरिक्त माननीय तिवारी जी आपके नेतृत्व में हरित क्रान्ति तराई भावर में आई, वहीं श्वेत क्रान्ति में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुल मिलाकर तराई भावर क्षेत्र में जो विकास की अपार सम्भावनायें हैं। जिस सूजबूझ के साथ कड़ी मेहनत के साथ हमारा यह बजट मा0 तिवारी जी ने अपने मंत्रियों के साथ और अपने अधिकारियों के साथ मिलकर बनाया। इस बजट का मैं मन्शा वाचा कर्मणा से स्वागत करता हूँ। यह बजट निश्चित रूप से इस उत्तरांचल को नई दिशा देगा।

मान्यवर, विशेष रूप से किसानों के लिए चाहे किसान तराई के हो या भावर के हों चाहे पर्वतीय अंचल के हों मैं सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं लिफ्ट योजनाओं की जिसका जिक्र बजट में हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लिफ्ट योजनाएं बनाकर पानी की उपलब्धता किसानों को कराई जायेगी लिफ्ट योजनाओं का लाभ जड़ी-बूटी की खेती करने वालों को फलों की खेती करने वालों को निश्चित रूप से अधिक मिलेगा। तराई भाबर के क्षेत्रों में पानी की अत्यन्त आवश्यकता है उसके लिए माननीय तिवारी जी ने बजट में जो व्यवस्था की है उससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। आपको याद होगा कई लोग यह कह रहे थे कि बजट आयतित लग रहा है। मान्यवर, बजट तो बजट होता है वह बनाया जाता है। हम हिन्दुस्तान के नागरिक हैं हमारे अन्दर अपार क्षमता है तथा कांग्रेस के पास ऐसा नेता है जिन्होंने अनेकों बजट बनाए हैं उस अनुभव का लाभ उत्तरांचल को मिल रहा है, यह उत्तरांचल का सौभाग्य है। मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी लोकप्रिय सरकार किसानों के लिए कितनी चिन्तित है गत वर्ष गेहूँ खरीद में किसानों की क्या दुर्दशा हुई है। गेहूँ ट्रालियों में पड़ा रहा वर्षा में भीगता रहा किसानों को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन इस वर्ष किसानों को कोई तकलीफ नहीं हुई, उनके भुगतान में कोई तकलीफ नहीं हुई। यह बात किसानों के हितों की ओर परिलक्षित करती हैं। मैं नेता सदन माननीय तिवारी जी को और सभी सहयोगियों को जिन्होंने उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए इस बजट को तैयार करने में अपना योगदान दिया। इस बजट का लाभ यहाँ की जनता को उनकी आशाओं के अनुरूप मिलेगा।

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में तिवारी जी के सामने मैं क्या कहूँ ? सूर्य को दीपक दिखाना है। पर्यटन क्षेत्र की बात हो या चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो उनके अनुभव का लाभ इस सदन को मिलेगा, उत्तरांचल की जनता को मिलेगा। समय की कमी है अगर विस्तृत रूप से चर्चा करें तो प्रत्येक बिन्दु तथा इस बजट पुस्तिका के जितने पन्ने हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तिवारी जी जब बोलते हैं, जब देखते हैं और जब उठते हैं उनका हर एक कदम राज्य के विकास के लिए होता है। वे बहुत ही अनुभवी हैं। हर वक्त चिन्तन और मन्थन विकास के लिए वह करते हैं। यह बजट विकास पुरुष के हाथों से बना हुआ बजट है। यह उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए बजट है यह आने वाला समय बतायेगा।

मान्यवर, उत्तरांचल के विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन सबका उल्लेख इस बजट भाषण में किया गया है। मैं सुझाव के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूँ, पेय जल के बारे में सिंचाई सुविधाओं के बारे में, जिनका उल्लेख इस बजट में किया गया है। मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र ओखलकाण्डा कौन्या से आता हूँ, जहाँ पर 30–30, 40–40 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, वहाँ पर विकास की अपूर्व सम्भावनाएं हैं। वहाँ पर तेजपात के जंगल हैं, तेजपात का व्यवसाय करके वहाँ के लोग अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो कि इस बजट में निहित है। उद्यान के सम्बन्ध में अभी मेरे मित्र श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने अपने विचार रखे। तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी–बूटियों के उत्पादन के लिए, फल–फूल की खेती के लिए और इनके सुधार के लिए माननीय तिवारी जी चिन्तित हैं और इस बजट में इसका प्राविधान किया गया है। युवाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का संकल्प लिया है। इस क्षेत्र में पहल भी हो गयी है। अभी पुलिस में भर्तियाँ हुई हैं और शीघ्र ही इंस्पेक्टरों की भी भर्ती होने वाली है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, प्रबोधन कार्यक्रम जब चल रहा था तो आपने कहा था कि नए सदस्यों को ज्यादा समय दूँगा। मैं भी एक नया सदस्य हूँ लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अधिक न कह कर आपने जो मुझे वर्ष 2002–2003 के बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए, जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसकी भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए इस आशा और उम्मीद के साथ कि उत्तरांचल का पूर्ण विकास होगा, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जब उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ तो उम्मीद थी कि यहाँ के सुदूरवर्ती गाँवों का विकास होगा। लेकिन सरकार द्वारा जो बजट बनाया गया है, वह उत्तरांचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है।

मान्यवर, विकास के लिए धन चाहिए। यदि धन है तो विकास होगा। यदि सारा धन नॉन–प्लान पर खर्च किया जाएगा तो विकास कहाँ से होगा। मान्यवर, बजट में हमारे आर्थिक स्रोत क्या होंगे, इसका भी उल्लेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी इस बजट में केन्द्र–सरकार पर सारा उल्लेख किया गया है और प्रदेश को जिस प्रकार रिजर्व बैंक को ओवर–ड्राफ्ट लेने की बात है लेकिन प्रदेश के लिए नए स्रोत क्या हैं, इसकी भी योजना होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभिभाषण में गुणवत्ता का उल्लेख किया गया है। विकास

कार्यों में गुणवत्ता होनी चाहिए। लेकिन यह तभी सम्भव है जब हमारे सारे पद भर जायें। 15 पद अवर अभियन्ता के होने चाहिए वहाँ पर मात्र 5 डीडीहाट में हैं जनपद चम्पावत में 2 ए0 ई0 और एक जे0 ई0 हैं। इसी प्रकार से सभी विभागों में अभियन्ताओं और अन्य के पद रिक्त हैं। ठेकेदार ने अपना कार्य पूरा कर दिया, बाहर से देखने में दीवार अच्छी है, लेकिन जे0 ई0 कहाँ–कहाँ जायेगा, वह तो केवल एक ही है। कौन देखेगा ? इंजीनियर वहाँ नहीं जायेगा, जे0 ई0 है नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो पद रिक्त हैं, उन्हें भर लिया जाए, इसके पश्चात् ही विकास होगा। पर्यटन के क्षेत्र में, उत्तरांचल राज्य के निर्माण के बाद मुंश्यारी में आज से 5 साल पहले जो पर्यटक आते थे, आज 20 गुना ज्यादा आते हैं, वहाँ पर पर्यटकों के आवास के लिए कोई सुविधा नहीं है। बम्बई से, दिल्ली से लोग आकर, जमीन को लीज पर लेकर वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था की है। यदि वहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दे दिया जाए तो दिल्ली और बम्बई से आकर वहाँ पर लीज की जमीन में ही उनका विकास हो सकता है। चमोली जनपद का जो अन्तिम गाँव नीतिमाड़ा उसी प्रकार है जो पिथौरागढ़ का अन्तिम गाँव नाचिक है, ये गाँव मुख्य मार्ग से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। मैं जब उस क्षेत्र में गया और पाया कि वहाँ जो एक मात्र पुल था वह भी बह गया। लोगों का एक–दूसरे गाँव से भी सम्पर्क टूट गया। वहाँ नीचे की ओर राम–गंगा नदी है। बरसात के दिनों में वहाँ के लोगों का आपस में सम्पर्क टूट जाता है। गर्मी के दिनों में लट्ठों के सहारे लोग नदी पार करते हैं। लेकिन मैं इस बजट में देख रहा हूँ कि दूर–दराज के जो गाँव हैं कहीं भी उनके विकास की बात नहीं है। इस बजट में माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल, जो हमारा संवेदनशील क्षेत्र है, दैवीय आपदा आती रहती हैं, लेकिन पुनर्वास का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब थे, उनका भी बजट देखा, वहाँ भी पुनर्वास की बात आती थी, लेकिन इसमें नहीं है। आज जनपद पिथौरागढ़ की बात है जहाँ पर 250 ऐसे परिवार हैं जो भू–स्खलन से पीड़ित हैं, वे इस समय टेन्टों में रह रहे हैं।

मान्यवर, बरसात में, इन चार महीनों में कई परिवार टेन्टों में रहते हैं। मुनस्यारी में मान्यवर, एक गाँव है कुलथम जो पूरा का पूरा गाँव भू–स्खलन से प्रभावित है। सांसद निधि से वहाँ पर एक टीन शेड का निर्माण कराया गया है, हम विधायक निधि से टीन शेड का निर्माण नहीं करा सकते हैं। आज लोग वहाँ पर टीन शेड में रह रहे हैं। कौली गाँव के लोग वहाँ टेन्ट पर रह रहे हैं, चनियाला गाँव के लोग आज टेन्ट में रह रहे हैं। मान्यवर, इनके पुनर्वास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो परिवार भू–स्खलन से प्रभावित हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाये। मान्यवर, उत्तरांचल–नेपाल, तिब्बत, चाईना से घिरा हुआ है। नेपाल में माओवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसके चलते हमें अपने प्रदेश की सीमाओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। रास्तों पर तो हमारी पुलिस की चौकियाँ हैं, लेकिन फिर भी लोग गुप्त रास्तों झूलापुर, पहाड़ी रास्तों और टायरों में हवा भर करके उसमें से टनों सामान ले आते हैं। मान्यवर, यदि पुलिस कर्मियों के साथ–साथ राजस्व पुलिस की भी सेवा ली जाये तो तस्करी रोकने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उनको सारे रास्तों आदि की जानकारी होती है जहाँ से तस्करी की जाती है। मान्यवर, स्वास्थ्य के विषय में कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हर जिले में बेस हॉसपिटल बनाने की बात कही है।

लेकिन दूर–दराज के गाँवों के लिए ए0एन0एम0 की सुविधा देने की बात कही गई है। मान्यवर, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है, वहाँ के लोगों की माँग है कि उन्हें अस्पताल या ए0एन0एम0 की सुविधा प्रदान की जाये। मान्यवर, इन नगरों के जो धनी व्यक्ति हैं वे तो अपना इलाज देहरादून, बरेली आदि जाकर करा लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है। बजट में इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, वह जनविरोधी बजट है और मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत पहले एक लेख पढ़ा था और लेखक महोदय ने उसमें लिखा था कि मैंने एक मोटर खरीदी है जिसमें हार्न के बजाए सब कुछ बजता है। यही हाल इस बजट के साथ है। इसमें बहुत सारी चीजें कवर की गयी हैं परन्तु उत्तरांचल को ध्यान में रखते हुए यह बजट शायद नहीं बनाया गया है। आज उत्तरांचल राज्य किन हालात से गुजर रहा है इसका अहसास तभी हो सकता है जब हम ग्रामीण अंचलों के हालात को देखें। उत्तरांचल राज्य बदनुमा हालत में है यहाँ ए0सी0 में बैठकर हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना का यह पहला बजट है जिसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि चालू योजनाओं पर क्या खर्च किया जाएगा और एस0एन0डी0 कितनी होगी। यही हाल जिलों का है डी0एम0 कह देता है कि पिछला बजट पास हो गया पिछले कार्यों पर हमने पैसा लगा दिया है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो मान्यवर इस तरह से बजट कैसे कामयाब होगा। जब से पंचवर्षीय योजना बननी शुरू हुई और इन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत प्लान बनाए गए परन्तु यह अहसास किया गया आखिर आज हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। बी0पी0एल0 की तादाद दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है 1980 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्रोग्राम बना था कि बी0पी0एल0 की संख्या को घटाया जाए। यह देखा गया कि बी0पी0एल0 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादा हैं और जिनकी तादाद 22 प्रतिशत है उन पर ज्यादा खर्च किया जाए। उनके नाम पर खर्च होता है परन्तु खर्च सड़क बनाने पर कर दिया जाता है। जो भूखा है जिसको रोटी नहीं मिल रही है, तालीम नहीं मिल रही है तो वह तरक्की कैसे करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि जो पैसा उनके नाम पर खर्च होता है वह उन्हीं पर खर्च हो। उनको भूमि आवंटित की जाए तथा हायर एजूकेशन दी जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही नहीं मान्यवर, विधायक निधि पर पाबन्दी लगा दी गयी यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि विधायकों ने जो पिछले कार्यों का वायदा किया था यदि वे पूरे नहीं होंगे तो वह एक प्रकार से सदन का अपमान होगा। इस सदन के सदस्य होने के नाते हमने जो जनता से वायदे किए थे, यदि वह पूरे नहीं होंगे तो सदन का अपमान होगा। मान्यवर, नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य बना था। आज 2002 हो गया है परन्तु हम

अस्थायी राजधानी देहरादून को कह रहे हैं। आपको किस बात का डर लग रहा है आप क्यों नहीं कहते कि देहरादून स्थायी राजधानी है और यदि अस्थायी राजधानी है तो यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च क्यों किया जा रहा है। भावनाओं के आधार पर यह राज्य बना हुआ है चूँकि यह एक हिल स्टेट है, इसलिए जनभावनाओं को देखते हुए क्यों न किसी हिल स्टेशन पर इसकी राजधानी आप नहीं बनाते आखिर देरादून को राजधानी बनाने की क्या आवश्यकता है।

मान्यवर, अब मैं गन्ना और कृषि के बारे में कहना चाहता हूँ गन्ना के कमाण्ड एरिया को बढ़ाने की बात थी जिस समय यह राज्य बना था तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि उत्तरांचल राज्य बन जाने के बाद गन्ने का कमाण्ड एरिया बढ़ा दिया जाएगा लेकिन अभी इस ओर कोई पहल नहीं की गयी है। हालाँकि इसका दो बार जिक्र आया और नेता सदन भी चाहते हैं पता नहीं वो किन परेशानियों के कारण खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं।

मान्यवर, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि अन्य शहरों की तो बात बहुत की गई, लेकिन ग्रामीण अंचलों की ज्यादा बात नहीं की गई है।

"औरों की तरफ फेंके हैं गुल बल्कि समर भी
ए–खाना बदोश ए–चमन कुछ तो इधर भी।"

मान्यवर, हरिद्वार का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गन्ने पर हरिद्वार की अर्थ–व्यवस्था निर्भर करती है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मान्यवर, हमने गन्ना विभाग से शिकायत की कि हमारे यहाँ गन्ने में कीड़े लग रहे हैं, तो मीटिंग में जवाब दिया गया कि 140 लीटर दवा उपलब्ध करा दी गई है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इतने बड़े जनपद के लिए सिर्फ 140 लीटर दवा उपलब्ध कराई है।

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश में थे तो मंगलौर में एक लकड़ी की मण्डी थी जब हम उत्तरांचल में आये तो वह मण्डी खत्म हो रही है। मान्यवर, मंगलौर उत्तरांचल की सीमा है। जैसे नोएडा का विकास हुआ है वैसे ही मंगलौर का विकास होना चाहिए। जिससे कि जब कोई उत्तरांचल आये तो जब वह यहाँ का विकास देखेगा तो कहेगा कि कितनी अच्छी जगह है। मान्यवर, रुड़की में ब्रास इंडस्ट्री है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर, मंगलौर में चप्पल बनाने का उद्योग चल रहा था लेकिन पॉवर सप्लाई न होने के कारण वह उद्योग बन्द हो गया। मान्यवर, मंगलौर में बिजली नहीं आ रही है और जो थोड़ी–बहुत लाइट आती है तो उसका आना न आना सब बेकार है।

मान्यवर, मेरा मानना है प्लान और नान प्लान को देखें। मान्यवर, यदि हम केन्द्र सरकार के सहारे न हों तो हम गिर पड़ेंगे। प्लान बजट में हम देख लें उसमें सुधार कैसे हो सकता है। मान्यवर, छोटे–छोटे उद्योग हैं, कोई 10 करोड़, कोई 50 करोड़ की इण्डस्ट्रीज लगायें। मान्यवर, सहारनपुर का उद्योग विश्वभर में मशहूर है, यहाँ बिजली सप्लाई ठीक न होने के कारण उद्योग बन्द पड़ा है। मान्यवर, फार्म 31 पर भी सरकार

ध्यान देती रहे। मान्यवर, सवाल यह है कि स्कूल, कालेज, हॉस्पिटल केवल शहरों के लिए ही बनाये गये हैं, बजट में ग्रामीण अंचलों के लिए कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण अंचलों पर कोई नजर नहीं डाली गयी है। मान्यवर, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट भाषण एक शेर से समाप्त किया था। मान्यवर, मैं भी अपना भाषण इस शेर के साथ समाप्त करता हूँ :-

हजार बार जमाना इधर से गुजरा है,
नई-नई सी है, कुछ तेरी रह गुजर फिर।

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण पर चर्चा कल भी जारी रहेगी अब मैं मद संख्या 10 ले रहा हूँ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्री हरभजन सिंह चीमा की सूचना को नियम 51 के लिए और श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ।

टिहरी गढ़वाल, घनसाली क्षेत्र के ग्राम डखवाण में बिजली के झूलते तारों से हुई दुर्घटना की जाँच प्रकरण के सम्बन्ध में श्री बलवीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राज्यमंत्री (श्री साधूराम)-

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील घनसाली के ग्राम डखवाण निवासी श्री गोविन्द सिंह पंवार एवं श्री रूकम सिंह पंवार के द्वारा खेतों में हल जोतते समय बिजली की झूलती तारों के शॉट सर्किट लगने से बैल की मृत्यु तथा श्री गोविन्द सिंह पंवार तथा श्री रूकम सिंह पंवार के गम्भीर रूप से घायल होने के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा घटना की जाँच की जा रही है। घटना की जाँच में विलम्ब का कारण श्री गोविन्द सिंह पंवार, जो कि दुर्घटना में घायल हो गये थे, के उपचार हेतु दिल्ली चले जाने के कारण उनका वक्तव्य न ले सकने के कारण हुआ है। अब श्री पंवार विगत दिनों दिल्ली से लौट आये हैं और शीघ्र ही जाँच सम्पन्न कर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा हरिद्वार से कराने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यटन मंत्री का वक्तव्य

पर्यटन, आबकारी एवं सैनिक कल्याण मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)-

हरिद्वार, उत्तरांचल राज्य का द्वार है इस देव भूमि का आंगन है। राज्य सरकार की चार धाम यात्रा की घोषणा इस द्वार और आंगन से नहीं होने से हरिद्वार की जनता,

व्यापारियों और अन्य लोगों के मन में रोष व्याप्त है और इस विषय को लेकर एक दिन का आन्दोलन भी कर चुके हैं क्योंकि पहले यात्रा हरिद्वार से ही प्रारम्भ होती थी, अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के सामने ध्यान आकर्षण हेतु लाना चाहता हूँ।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा यात्रा को शुरू किस स्थल से किया जाय इसकी कोई औपचारिक घोषणा कभी नहीं की गयी है, न ही इस अवसर के लिये कोई औपचारिक कार्यक्रम कभी आयोजित किया गया है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम हमेशा से यात्रा सीजन में अपने पैकेज टुअर ऋषिकेश से प्रारम्भ करता है क्योंकि उनका यात्रा कार्यालय ऋषिकेश में ही स्थापित है। इस प्रकार यात्रा हरिद्वार से शुरू न कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कभी कोई घोषणा नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 50 मिनट पर सोमवार 10-06-2002/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून,

दिनांक 05 जून, 2002

महेश चन्द्र,

सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

पी0एस0यू0(आर0ई0) 05विधान सभा/13-02-05-2003-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।